मई-२०२५ ◆ वर्ष १४ ◆ अंक ०१ ◆ उदयपुर

ओ३म्

सत्यार्थ सौरभ

मासिक
मई-२०२५

**भारत कृषि प्रधान देश है, कृषक श्रमिक ही राजा हैं।
डेढ़ शती से पूर्व घोषणा, दयानन्द कर जाते हैं॥**

शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति को समर्पित

श्रीमद्दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश न्यास
नवलखा महल परिसर, गुलाब बाग, महर्षि दयानन्द मार्ग,
उदयपुर-313001 (राज.)

₹१५ १६३

सफलता के 6 मूल मंत्र
मीठा बोलना
कृपा परम-पिता परमात्मा की
आशीर्वाद माता-पिता का
प्यार संसार का।
महाशय राजीव गुलाटी
चेयरमैन, महाशियाँ दी हट्टी (प्रा०) लि०
MDH
मसाले
सेहत के रखवाले
असली मसाले सच - सच
KITCHEN KING
किचन किंग
CHANA MASALA
CHUNKY CHAT MASALA
महाशय धर्मपाल गुलाटी
संस्थापक चेयरमैन, महाशियाँ दी हट्टी (प्रा०) लि०
DEGGI MIRCH
CHILLI POWDER
GARAM MASALA
SHAHI PANEER MASALA
PEACOCK
KASOORI METHI
For More Information Visit us on :
mdhspicesofficial
mdhspicesofficial
mdhspicesofficial
SpicesMdh
www.mdhspices.com
SCAN FOR MDH ORIGINAL RECIPES

सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षाओं को अपने आँचल में समेटे, सम्पूर्ण परिवार के लिए, हर आयु समूह के लिए, पठनीय और समर्पित

न्यास का मासिक मुखपत्र

सत्यार्थ सौरभ

प्रमुख संरक्षक – सत्यार्थ सौरभ

डॉ. सुखदेव चन्द सोनी (अमेरिका)

परामर्शदाता संपादक मण्डल

डॉ. महावीर मीमाँसक

डॉ. ज्वलन्त कुमार शास्त्री

डॉ.सोमदेव शास्त्री

डॉ. रघुवीर वेदालंकार

आचार्य वेदप्रिय शास्त्री

सम्पादक

अशोक आर्य

प्रबन्ध सम्पादक

भवानी दास आर्य

प्रबन्ध सहयोग (ग्राफिक्स डिजाईनर)

नवनीत आर्य (मो. 9314535379)

व्यवस्थापक

भँवर लाल गर्ग

सहयोग ◆	भारत	विदेश
संरक्षक	- 11000 रु.	$ 1250
आजीवन	- 1500 रु.	$ 300
पंचवर्षीय	- 600 रु.	$ 125
वार्षिक	- 150 रु.	$ 30
एक प्रति	- 15 रु.	$ 10

भुगतान राशि धनादेश/चैक/ड्राफ्ट श्रीमद् दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश न्यास के पक्ष में बना न्यास के पते पर भेजें। अथवा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया मेन ब्रांच दिल्ली गेट, उदयपुर
खाता संख्या : 310102010041518
IFSC CODE- UBIN 0531014
MICR CODE- 313026001
में जमा करा अवश्य सूचित करें।

सृष्टि संवत् १९६०८५३१२६
वैशाख शुक्ल दशमी
विक्रम संवत् २०८२
दयानन्दाब्द २०१

०६

न्यायालयों की घटती साख

१४

धर्मनिष्ठ राजनीति और स्वामी दयानन्द

May - 2025

समाचार २९

०४	वेद सुधा
१०	जीवन का सुख-दुःख
१२	सुखदेव थापर
१३	बेटी घर आँगन की शोभा
१७	त्याग की मूर्ति- माँ
१९	जी हाँ, आप मृत्यु पर विजय पा सकते हैं।
२२	विकास के लिए नारी सशक्तिकरण जरुरी
२५	ग्रीष्म ऋतु में आहार-विहार एवं स्वास्थ्य रक्षा
२७	कहानी दयानन्द की
२८	सत्यार्थ मित्र बनें

हलचल ३०

सत्यार्थ-सौरभ में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार सम्बन्धित लेखक के हैं। सम्पादक अथवा प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। किसी भी विवाद के प्रतिवाद हेतु न्यायक्षेत्र उदयपुर ही होगा। आपत्ति की अवधि प्रकाशन तिथि से एक माह के भीतर ही मानी जायेगी।

विज्ञापन शुल्क (प्रति अंक)

कवर 2 व 3 (भीतरी आवरण) रंगीन 5000 रु.

अन्दर पृष्ठ (श्वेत-श्याम)

पूरा पृष्ठ (श्वेत-श्याम)	3000 रु.
आधा पृष्ठ (श्वेत-श्याम)	2000 रु.
चौथाई पृष्ठ (श्वेत-श्याम)	1000 रु.

स्वामी — श्रीमद् दयानन्द सत्यार्थप्रकाश न्यास, नवलखा महल, गुलाब बाग, उदयपुर

वर्ष - १४ अंक -०१

मुद्रण — द्वारा - चौधरी ऑफसेट, (प्रा.लि.) ११-१२, गुरु रामदास कॉलोनी, उदयपुर

प्रकाशक
श्रीमद् दयानन्द सत्यार्थप्रकाश न्यास
सत्यार्थ प्रकाश भवन, नवलखा महल, गुलाबबाग, उदयपुर (राजस्थान) 313001
(0294) 4017298, 09314535379, 7976271159
www.satyarthprakashnyas.org, E-mail : satyarthsandesh@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, श्रीमद् दयानन्द सत्यार्थप्रकाश न्यास, उदयपुर की ओर से प्रकाशक, मुद्रक अशोक कुमार आर्य द्वारा निदेशक– मुकेश चौधरी, चौधरी ऑफसेट प्रा. लि., 11/12 गुरुरामदास कॉलोनी, उदयपुर से मुद्रित तथा कार्यालय श्रीमद् दयानन्द सत्यार्थप्रकाश न्यास, सत्यार्थ प्रकाश भवन, नवलखा महल, गुलाबबाग, महर्षि दयानन्द मार्ग, उदयपुर–313001 से प्रकाशित, सम्पादक–अशोक कुमार आर्य

ओ३म्

वेद सुधा

जीवन नष्ट मत कर

यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथ ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु।
यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा धातरायूंषि कल्पयैषाम्।। - ऋग्वेद १०/१८/५

यथा अहानि- जैसे दिन-रात, **अनुपूर्वं भवन्ति-** क्रमपूर्वक होते हैं। **यथा ऋतवः-** जैसे ऋतुएँ, **ऋतुभिः-** ऋतुओं के साथ, **साधु यन्ति-** ठीक चलती हैं, **यथा अपरा-** जैसे पिछला, **पूर्वम्-** पहले को, **न जहाति-** नहीं छोड़ता है। **धातः-** हे जीवन धारण करनेवाले! **एवा एषाम्-** इसी प्रकार इन {इन्द्रियादिक} के, **आयूंषि-** जीवनों को, **कल्पय-** सफल कर।

व्याख्या

इस प्रवचन में सावधान मनुष्य को जीवन सफल करने का उपदेश करते हुए कहते हैं कि यह सारी सृष्टि किसी नियम से चल रही है।

वेद कहता है, देखो! दिन और रात अनुक्रम से होते हैं। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन अवश्यंभावी है। दिन-रात की देशभेद के कारण छुटाई-बड़ाई तो होती रहती है, जैसे उत्तरध्रुव और दक्षिणध्रुव में छह-छह मास के दिन और रात होते हैं, किन्तु दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना अनिवार्य है। इस व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होता है। यह बराबर चलती रहती है।

इसी प्रकार ऋतुओं की अवस्था है। किसी प्रदेश में दो ऋतुएँ हैं, किसी में तीन, किसी में चार, किसी में पाँच और किसी में छः होती हैं, किन्तु होती क्रम से हैं। जहाँ दो ऋतुएँ हैं, शीत और ग्रीष्म, वहाँ शीत के पश्चात् ग्रीष्म और ग्रीष्म के पीछे शीत निरन्तर अनुक्रम से आती रहती हैं। इसी प्रकार तीन, चार, पाँच, छः जैसी भी हैं, अनुक्रम से आती हैं।

सूर्य की किरणें हमारे भू-भाग पर सीधी पड़ने लगीं, गीष्म ऋतु बन गई। सूर्य ने गीष्मकाल में अपनी प्रखर प्रचण्ड रश्मियों से भूमिस्थ जल को सुखा वाष्प बना ऊपर चढ़ा दिया। जल के निरन्तर ऊपर जाने से ऊपर का प्रदेश शीत होने लगा, ऊपर गया वाष्प भारी होने लगा। नीचे से धूलिकण भी ऊपर पहुँचते रहते हैं, उनके मेल से वाष्प और भारी हो गया, बस फिर वाष्प ने पानी का आकार धारण किया और नीचे गिरा, वर्षा ऋतु आ गई। घूमने के कारण पृथिवी अब ऐसी परिस्थिति में आ गई कि उस पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़तीं, अतः पृथिवी पर गरमी भी नहीं पड़ती, वरन् शीत प्रतीत होता है, यह शीत ऋतु के आगमन का प्रमाण है।

इस प्रकार देखें तो ऋतुएँ भी ठीक अनुक्रम से चल रही हैं!

अगले और पिछलों का भी सम्बन्ध है। जैसे दिन के बाद रात आती है, ऐसे ही पूर्ववर्ती वस्तु के साथ उनके पीछे आनेवाला पदार्थ उसको पकड़े हुए है, अर्थात् सावधान होकर देखो, यहाँ व्यवधान नहीं है, नैरन्तर्य का राज्य है। तीन दृष्टान्त देकर आदिगुरु करुणानिधान भगवान् आदेश करते हैं-

एवा धातरायूंषि कल्पयैषाम्।

हे धातः! तू इनके जीवनों को सफल कर।

यदि ऋतुओं का क्रम टूट जाए, तो इनके प्रयोजन की सिद्धि न हो, दिन-रात का क्रम टूट जाए, सदा दिन-ही-दिन रहे, रात कभी हो ही न, या सदा रात ही रहे, दिन कभी हो ही न, तो जीवों का जीवन नीरस हो

जाए। इनकी सफलता अनुक्रम में है। हे धातः= शरीरेन्द्रिय आदि के धारक जीव! तू भी अनुक्रम बना। अपने जीवन कार्यक्रम बना, तब तेरे शरीर, करणों उपकरणों की सफलता हो सकेगी, अन्यथा नहीं।

शरीर इन्द्रियादि के साथ आत्मा का संयोग होने से जीवन होता है। आत्मा तो नित्य है, आत्मा को किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए यह शरीर आदि साधन मिले हैं। इनकी सफलता तभी है, जब यह प्रयोजन सिद्ध हो जाए, किन्तु प्रयोजनसिद्धि के लिए व्यवस्थितरूप से कार्य करने की आवश्यकता है, अतः वेद बल देता है- अनुक्रम से कार्य करने पर, कार्यक्रम बनाकर कार्य करने पर।

जीव को इस मंत्र में 'धाता' कहा है। जब तक आत्मा शरीर में रहता है, तभी तक शरीर और इन्द्रिय अपना अपना कार्य करते हैं। आत्मा बाहर गया और ये सारे गिर पड़ते हैं, अर्थात् इनकी स्थिति= कार्य करने का सामर्थ्य और योग्यता तभी तक है, जब तक आत्मा ने इन्हें थाम रक्खा है, जब तक आत्मा का इनके साथ सम्बन्ध है। आत्मा का सम्बन्ध टूटा और ये फूटे।

आत्मा को 'धाता' कहने का एक और भी गूढ़ अभिप्राय है। 'धाता' शब्द का एक अर्थ निर्माता, रचियता, बनानेवाला भी होता है। सचमुच जीवात्मा धाता है। जीव ने जो सृष्टि रची है, आज उसकी गणना करना भी लगभग असम्भव है। गाड़ी, टांगा, मोटरकार, रेलगाड़ी, वायुयान, जलपोत आदि यातायात के साधन मनुष्य-आत्मा की रचना है। इसी प्रकार रहने के अनेक प्रकार के घर तुच्छ प्रतीत मानव-आत्मा के कौशल के परिचायक हैं। तार, बेतार का तार, टेलीफोन आदि सन्देशन-वहन-साधन आत्मा की सूक्ष्म क्षमता की सूचना दे रहे हैं। शीत, आतप, वर्षा से अपने तन के त्राण के लिए मनुष्य ने वस्त्रादि की अद्भुत सृष्टि करके मानो प्राकृतिक शक्तियों की चुनौती को स्वीकार किया है। नूतन पुष्पों और फलों की सृष्टि करके तो यह सचमुच सिरजनहार बन गया। हाँ, परमविधाता और इस विधाता में एक अन्तर अवश्य है। परम विधाता की सारी रचना दूसरों के लिए होती है। वह **'अकाम'** है। वह **'अनश्नन्नन्योऽ भिचाकशीति'** (ऋ. १/१६४/२०) है। वह किसी वस्तु का भोग नहीं करता, प्रत्युत् केवल द्रष्टा= साक्षी है। इसके विपरीत इस विधाता की सारी रचना अपने सुख-संविधान को लक्ष्य करके होती है, क्योंकि यह भोक्ता है, **'पिप्पलं स्वाद्वत्ति'** (ऋ. १/१६४/२०) स्वादु फलों को खाता है, क्योंकि यह **'अश्नः'**(१/१६४/१) है। यह कामनाक्रान्त है। रो-रोकर यह कहता है- **'न कामो अपवेति मे'** (ऋ. ५/६१/१८) मेरी कामना हटती नहीं। इसकी कामनाएँ (स्वार्थसिद्धि की अभिलाषाएँ) इसे स्रष्टा (धाता) बनाती हैं और भगवान् को परहितसाधन-भावना, जीवों को भोग, मोक्ष देने की कमनीय कामना, अर्थात् निस्वार्थ निष्काम भावना 'धाता' बनाती है, अतः वह **'अनश्नन्'**= अभोक्ता है।

ससीम होती हुई भी इसकी (आत्मा की) निर्माणशक्ति असीम-सी है, क्योंकि कोई नहीं कह सकता, भविष्य में यह क्या-क्या बनाएगा।

यदि आत्मा इनसे स्वप्रयोजन सिद्ध न करे तब आत्मा, आत्मा न रहकर भार उठानेवाला और भार भी मृतक् का, बन जाता है। शरीर इन्द्रियादि जड़-प्रकृति के विकार हैं। चेतन क्यों मृतक्= जड़ का भार उठाए। वेद सावधान करता हुआ कहता है- **एवा धातरायूंषि कल्पयैषाम्।**

लेखिका- डॉ. रोचना भारती
साभार- अमृत-मन्थन

आत्म निवेदन

न्यायालयों की घटती साख

(2023 में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि केवल 45% भारतीयों को न्यायपालिका पर भरोसा है, जो 2010 में 65% था। 19% की इस गिरावट का मुख्य कारण भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी है) अब प्रश्न है कि जस्टिस यशवन्त वर्मा के मामले के बाद इस साख का क्या होगा?

प्रजापालन शासक का परम धर्म है यह भारतीय विधिक मनीषा का केन्द्रीय बिन्दु है। राज्य के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है कि राज्य की समस्त प्रजा को सही और त्वरित न्याय मिलना चाहिए। इसमें दुराचारियों को, दुष्कर्मियों को, अपराधियों को दण्ड देने में राज्य की न्याय व्यवस्था को अथवा कहें कि शासक को कोई संकोच नहीं होना चाहिए, चाहे वह अपराधी किसी भी पद पर आसीन हो। दण्ड की महत्ता को उल्लेखित करते हुए महर्षि मनु विस्तार से लिखते हैं। यद्यपि आज के समय में कठोर दण्ड को अमानवीय समझा जाता है। यहाँ निवेदन है कि सामान्य रूप से यह धारणा बना लेना उचित नहीं है क्योंकि अपनी दुष्प्रवृत्तियों को लगाम में रखने के लिए एक अपराधी तभी बाध्य होता है जब उसे दण्ड का भय होता है। आज आप देखिए अपराधी को जिस समय पुलिस ले जा रही होती है उनमें से अधिकांश के चेहरों पर कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा या कोई दुःख नहीं होता और कई तो हँसते हुए जाते हुए देखे जाते हैं क्योंकि इनको न्याय व्यवस्था की सुरंग का पता होता है और यह भी कि कठोर दण्ड के विरुद्ध तथाकथित मानवाधिकार वाले लोग चिल्लाने लगेंगे। पर ध्यान रखें यह लोग तभी तक चिल्लाते हैं जब तक कि समस्या दूसरों की है। अगर आज इन्हीं के ऊपर आक्रमण हो जाये फिर इनको मानवाधिकार कहीं नजर नहीं आएगा। तो दण्ड की प्रधानता और कठोरता को प्राचीन भारतीय विधि शास्त्र में इतना अनिवार्य माना है कि उसको धर्म का ही नाम दे दिया है। यहाँ यह भी ध्यान रखें की न्यायाधीश की निष्पक्षता और नैतिकता को नितान्त आवश्यक माना गया है। उदाहरण देखें-

जो दण्ड है वही पुरुष राजा, वही न्याय का प्रचारकर्त्ता, और सबका शासनकर्त्ता, वही चार वर्ण और चार आश्रमों के धर्म का 'प्रतिभू' अर्थात् जामिन है।

वही प्रजा का शासनकर्त्ता, सब प्रजा का रक्षक, सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है, इसीलिये बुद्धिमान् लोग दण्ड ही को 'धर्म' कहते हैं।

परन्तु स्मरण रखें कि यहाँ केवल दण्ड की बात नहीं कही है। दण्ड देने का अधिकार जिस न्यायाधीश अथवा

राजा को हो वह पवित्र आत्मा, न्याय बुद्धि रखने वाला, ईर्ष्या-द्वेष से सर्वथा रहित, स्वयं सब प्रकार के दोषों से रहित हो उसी को यह अधिकार होना चाहिए, तभी दण्ड प्रजा में आनन्द पैदा कर सकता है। परन्तु इसके विपरीत अगर अयोग्य व्यक्ति दण्ड का प्रयोग करता है तो वह राजा स्वयं ही दण्ड के द्वारा ही समाप्त हो जाता है। देखिए-

जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है; वह धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि से बढ़ता है; और जो विषय में लम्पट, टेढ़ा, ईर्ष्या करनेहारा, क्षुद्र, नीचबुद्धि न्यायाधीश, राजा होता है; वह दण्ड से ही मारा जाता है।

पाठको! यही हमारे इस आलेख का केन्द्र बिन्दु है कि जिनके हाथ में न्याय देने का अधिकार है वे स्वयं पवित्र होने चाहिए।

हमारे संविधान में भी यह व्यवस्था है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं परन्तु क्या सचमुच ऐसा है? अनेक

मामले ऐसे हमारी नजरों के सामने से गुजर जाते हैं जिनमें रसूखदार लोगों ने बड़े-बड़े वकीलों के माध्यम से लाभ उठाया है जो कि अन्यथा किसी गरीब व्यक्ति को जो कि इतने महंगे वकील नहीं कर सकता था नहीं मिलता। कई लोगों के लिए आपने देखा होगा कि रात में भी उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो जाती है। जबकि जीवन की ठोकर खा रहे कानून की चक्की में पिस रहे, तारीखों पर तारीख के दलदल में धंसे हुए अनेक पीड़ित न्याय की आशा आँखों में लिए इस उच्च या उच्चतम न्यायालय की ओर देखते रहते हैं। उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिलता।

आज जब दोषी प्रतिष्ठित, गणमान्य हैं, तो विधि के समक्ष समानता की अवधारणा हमारे संविधान में होते हुए भी ऐसे दोषी बच निकलते हैं। इनके मामले में कानून के हाथ छोटे हो जाते हैं।

दूसरी ओर, मुझे कहने दीजिए कि प्राचीन भारतीय विधिशास्त्र के अन्तर्गत समान अपराध पर समान दण्ड का सिद्धान्त सामान्य रूप में नहीं था। सिद्धान्त यह था कि जो जितना प्रतिष्ठित हो, जो जितना योग्य हो, जो जितने बड़े पद पर हो, उसको एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले जो कि अनपढ़ और कम समझ रखने वाला है समान अपराध करने पर कई गुना ज्यादा दण्ड मिलेगा। महर्षि दयानन्द जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास में इसको लिखा है।

जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड हो; उसी अपराध में राजा पर सहस्र पैसा दण्ड होवे। अर्थात् साधारण मनुष्य से राजा पर सहस्र गुणा दण्ड होना चाहिए।

दीवान अर्थात् राजा के मन्त्री को आठ सौ गुणा, उससे न्यून को सात सौ गुणा, उससे न्यून को छः सौ गुणा वैसे ही उतरते-उतरते एक भृत्य अर्थात् चपरासी जो कि छोटे से छोटा राजपुरुष हो, उसको आठ-गुणे से कम दण्ड न होना चाहिये। क्योंकि यदि प्रजापुरुष से राजपुरुषों को अधिक दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवें। जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े-से ही दण्ड से वश में आ जाती है, इसलिये राजा से लेकर छोटे-से-छोटे भृत्य तक राजपुरुषों को अपराध में प्रजा से अधिक दण्ड होना चाहिये।

वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे, उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय को बत्तीस गुणा, ब्राह्मण को चौंसठ गुणा वा सौ गुणा अथवा एक सौ अट्ठाईस गुणा दण्ड होना चाहिये। अर्थात् जिसका जितना ज्ञान और प्रतिष्ठा अधिक हो, उसको अपराध में उतना अधिक दण्ड होना चाहिए।

स्पष्ट है कि व्यवस्था यह होनी चाहिए कि सर्वोच्च पद से लेकर चपरासी अर्थात् निम्नतम पद पर कार्यशील व्यक्ति अदण्डनीय नहीं है। देखिये-

प्रश्न- जो राजा वा रानी अथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्याभिचार आदि कुकर्म करें तो उनको कौन दण्ड देवे? उत्तर- सभा। अर्थात् उनको तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये।

जिनको दूसरों को न्याय देने की जिम्मेदारी दी गयी है अगर वे स्वयं अपराध करे तो? भारतीय मनीषा उन्हें अधिक दण्ड देने की पक्षधर है। ऐसा न हो तो निर्धारित तो मिलना ही चाहिए। पर इतिहास बताता है ऐसा होता नहीं।

स्पष्टतः न्यायाधीश आदि अगर अपराध करें तो उन्हें दण्ड तो मिलना ही चाहिए और वह भी साधारण मनुष्य के मुकाबले में अधिक ऐसा क्यों? क्योंकि उन पर प्रजाजन को विश्वास होता है और यही विश्वास इस न्याय व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है। जिस दिन न्यायालय की न्याय व्यवस्था में जनमानस का विश्वास हिल जाएगा उस दिन इनकी सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी और न्यायाधीशों के निर्णय जो सर झुका करके हर व्यक्ति स्वीकार करता है वह स्थिति समाप्त हो जाएगी। अतः न्यायाधीश भी दण्डनीय है यह भारतीय राजनीति का, विधिशास्त्र का, न्याय व्यवस्था का एक अनिवार्य नियम मानकर चलना चाहिए। परन्तु वर्तमान में हम देखते हैं कि जो व्यवस्था और कानून एक सामान्य व्यक्ति ही नहीं राजनेता, सांसद और यहाँ तक की मंत्री अधिकारी इत्यादि को पर लागू होता है वह न्यायाधीश और विशेष रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि इनका उच्चतम नैतिक चरित्र एक विशेष अवस्था में होता है जो किसी कारण से डिग नहीं सकता। अगर ऐसा हो तो बात ही क्या है। परन्तु जितनी चर्चा उच्च और उच्चतम न्यायालयों में भ्रष्टाचार की और भाई भतीजावाद की, पक्षपात की सुनने में आती है वह प्रश्न चिह्न खड़े करती है क्योंकि जब-जब ऐसे अवसर आए कि अपराधी कोई न्यायाधीश था तो वहाँ जहाँ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एक आदर्श उपस्थित कर सकते थे वहाँ यही देखने में आया कि येन-केन-प्रकारेण उस अपराधी न्यायाधीश को बचाया गया।

अगस्त २००८ में एक अजीब घटना घटी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दो महिला जज थीं। एक का नाम निर्मलजीत कौर था वह अभी प्रविष्ट ही हुई थीं और एक अत्यन्त वरिष्ठ जज थीं जिनका नाम निर्मल यादव था। एक दिन एक पूर्व महाधिवक्ता संजीव बंसल का चपरासी प्रकाश राम निर्मल जीत के घर जाता है और एक लिफाफा देकर कहता है कि इसमें डाक्यूमेंट्स भिजवाए हैं। उसी समय जस्टिस निर्मल कौर कहती हैं कि लिफाफे को खोलो और जब लिफाफा खोला जाता है तो उसमें १५ लाख रुपए मिलते हैं। यह वाद काफी चर्चित रहा। जिस समय निर्मल यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, उस समय वह हाईकोर्ट की जज और पूर्व न्यायिक अधिकारी थीं। यह धन वस्तुतः जस्टिस निर्मल यादव के यहाँ पहुँचाया जाना था। जो नामों में साम्य होने के कारण जस्टिस कौर को दे दिया गया। जस्टिस कौर ने तभी रुपये लाने वाले प्रकाश राम को पकडवा दिया। इस केस ने उच्च न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट को एक आधार प्रदान कर दिया। चण्डीगढ़ पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने इस मामले की जाँच शुरू की, लेकिन कुछ समय के बाद केस को बन्द करने के लिए कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट डाल दी।

सीबीआई ने ४ मार्च, २०११ को न्यायमूर्ति निर्मल यादव, जो उस समय उत्तराखण्ड हाईकोर्ट की जज थीं, के खिलाफ उनकी सेवानिवृत्ति के दिन आरोप-पत्र दाखिल किया। जस्टिस यादव पर यह आरोप था कि उन्होंने एक जमीन सौदे में पक्ष लेने के लिए रिश्वत माँगी थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उस वक्त उन्हें क्लीनचिट देते हुए ट्रांसफर की सिफारिश की थी, और उत्तराखण्ड उच्च न्यायलय में स्थानान्तरण कर दिया। अब १७ वर्ष

बाद निर्मल यादव एवं अन्य आरोपियों को स्पेशल कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। हो सकता है जस्टिस यादव निर्दोष हों परन्तु उच्चतम न्यायलय ने जिस तरह का व्यवहार उस समय किया वह शंका उत्पन्न करने वाला था।

सीबीआई की विशेष अदालत ने १७ साल बाद इस मामले में अपना फैसला दिया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में सभी आरोपी बरी तो हो गए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल सबके मन में रह गया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस मामले के आरोपियों का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है तो उस समय बरामद १५ लाख रुपये किसका था? लाखों रुपये गए कहाँ?

अब २०२५ में पुनः होली की रात को विचित्र काण्ड घट गया। दिल्ली उच्च न्यायलय के न्यायाधीश अवकाश मनाने दिल्ली से बाहर गए थे। सूचना मिली कि उनके बंगले के आऊट हाउसेस में आग लग गयी है। किसी ने सूचना दी तो दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने आये। एक स्टोरनुमा कमरे में नोटों की बोरियाँ मिलीं जो आंशिक रूप से जल गयीं थीं। लगभग ६ दिनों तक यह घटना दबी रही। इस बीच उच्चतम न्यायालय के कालेजियम ने जस्टिस वर्मा का स्थानान्तरण इलाहबाद हाईकोर्ट कर दिया। पर बाद में एक अखबार में सारा समाचार आया तो उच्चतम न्यायलय ने आन्तरिक जाँच प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है तथा जले हुए नोटों का वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट की बेवसाईट पर डाल दिया। इस मामले में जिस तरह का व्यवहार सुप्रीम कोर्ट का रहा है लगता है वह सारे मामले को दबाना चाहती थी पर कुछ चीजें बाहर आ गयीं इसलिए मजबूरी में यह कार्यवाही हो रही है। यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। भारतीय मनीषा को ऐसे मामलों में पुनः उद्धृत करते हुए लेखनी को विराम देंगे।

जो राजपुरुष अन्याय से वादी-प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करें, उनका सर्वस्वहरण करके यथायोग्य दण्ड देकर ऐसे देश में रक्खे कि पुनः वे वहाँ से लौटकर न आ सकें और इस बात को देख-सुन के दूसरे राजपुरुष भी इस दुष्ट काम से बचे रहें। यदि उसको दण्ड न दिया जाये तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम (करेंगे।)

- अशोक आर्य
सत्यार्थ प्रकाश भवन, नवलखा महल, उदयपुर
चलभाष- ०९३१४२३५१०१, ०८००५८०८४८५

सत्यार्थ सौरभ की रजिस्टर्ड पोस्टल सेवा

सत्यार्थ सौरभ के सम्मानित सदस्यगण! हमें पता है कि आप लोगों को सत्यार्थ सौरभ पत्रिका या तो समय से नहीं मिलती है या फिर मिलती ही नहीं है। इसलिए न्यास ने एक निर्णय लिया है कि अगर आप एक वर्ष में रुपये 542/- (Postage हेतु) देते हैं तो आपको पत्रिका रजिस्टर्ड भेजी जाएगी। ताकि फिर भी पत्रिका प्राप्त नहीं होती है तो आप पोस्ट ऑफीस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं जिससे ये समस्या सुलझ सकती है।

G Pay
BHIM UPI

दान की अपील

सत्यार्थ प्रकाश रचना स्थली नवलखा महल से NMCC के रूप में सत्यार्थ शिक्षाओं को जिस अद्भुत प्रकार से प्रसारित किया जा रहा है और सहस्रों लोग आकर्षित हो इसका लाभ ले रहे हैं जिस कारण से यह स्थल अब विख्यात होता जा रहा है। आपसे प्रार्थना है कि इस यज्ञ में अपनी छोटी–बड़ी आहुति अवश्य देने की कृपा करें। इस हेतु साथ में दिए यूपीआई कोड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक अनुरोध है कि अगर आप अर्थ सहयोग प्रदान करें तो चलभाष 9314235101, 7976271159 अथवा 9314535379 पर सूचित अवश्य करें।

G Pay
BHIM UPI

जीवन का सुख-दुःख

कविवर्य जयशंकर प्रसाद जी की इन पंक्तियों में आशावादी स्वर उभर कर आ रहा है-

बिना दुःख के जीवन निस्सार,
बिना आँसू के जीवन भार।
दुःख की पिछली रजनी बीच,
विकसता सुख का नवल प्रभात।।

जीवन का प्रत्येक क्षण यदि अर्थपूर्ण है तो वह जीवन नीरस या अरुचिकर हो ही नहीं सकता। उस स्थिति में मन में यह तीव्र भाव निरन्तर जागृत रहता है कि जीवन एक महान् लक्ष्य के प्रति समर्पित है, किसी वस्तु की, उद्देश्य की खोज में व्यस्त है। एक निष्कपट व्यक्ति या योगी की यही मनःस्थिति होनी चाहिये और इसके लिये उत्साह सम्पन्न होना चाहिए।

जीवन संघर्ष है, चुनौति है। जीवन की सड़क समतल नहीं होती। इस राह पर फूल और काँटे दोनों होते हैं। इनसे न घबराते हुए इन अनुभवों से सीखा जाए क्योंकि अनुभव सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा पथ-प्रदर्शक है। अनुभव को ही ज्ञान बना लिया जाए। कड़वे-मीठे सभी अनुभव जीवन को संवारते हैं। ये सभी अनुभव हमें कुछ दे कर जाते हैं। जो इनसे नहीं सीखता वह नासमझ है, नादान है या मूर्ख है। इन ठोकरों के लगने से मनुष्य सीखता है, अनुभवी बनता है। संसार की सभी वस्तुएँ ठोकर लगने से टूटती हैं, पर एक मनुष्य ही ऐसा है जो ठोकर लगने से बनता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सुख-दुःख की ठोकरों से घबराए नहीं, इनसे शिक्षा लें, बोध लें, समझ लें।

कवि श्री रामनरेश त्रिपाठी जी की बहुत सुन्दर पंक्तियाँ हैं-

जग में सुख की प्राप्ति के लिये,
एक सहायक दुःख है।
वही जगाता है सद्‌गुण को,
सद्‌गुण लाता सुख है।।
बाधा, विघ्न, विपत्ति, कठिनता,
जहाँ-जहाँ सुन पाना।
सबके बीच निडर हो जाना,
दुःख को गले लगाना।।

दुःख आने पर धैर्य अपनाना चाहिए, दुःख के साथ ज्यादा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुःख अपने समय पर ही जाएगा और सूर्योदय भी अपने समय पर होगा ही। जैसे कि रात को हम सो जाते हैं, उसी प्रकार धैर्य की चादर ओढ़कर आए हुए दुःख की ओर उदासीन भाव से उन्मुख होकर पुनः ईश्वर का नाम लेकर कछुए की चाल से ही सही यथाशक्ति अपने कर्त्तव्य कर्म में लग जाना चाहिए। जैसे रात को सो जाने के बाद फिर से सुबह की लाली फूटती

दिखाई देती है, अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश हो जाता है।

यदि जीवन में कोई दुःख आ गया है तो समझ लो कि अब ईश्वर की कृपा दृष्टि होने वाली है, इसीलिये वह

परीक्षा ले रहा है। दुःख भगवान का भेजा हआ अग्रदूत है, यह बताने के लिये कि इसके बाद बहुत कीमती भेंट आ रही है। वह उतनी बहुमूल्य होगी कि उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकोगे। अनेकों महान् आत्माओं के जीवन बताते हैं कि भयानक दुःखों को सहने के बाद ही उन्हें सफलता मिली थी और भगवत् प्राप्ति भी सम्भव हो पाई थी।

दुःख जीवन में शुद्धिकरण के लिये आते हैं। इनसे निराश या हताश होकर दीन-हीन बन कर जीवन को व्यर्थ नहीं समझना है, अपितु यह सोचा जाए कि यह दुःख, हताशा, सन्ताप, पीड़ा हमें निखारने के लिये आए हैं, जिस तरह शुद्ध होने के लिये, चमकने के लिये स्वर्ण को भी अग्नि में तपना पड़ता है। उसी तरह मनुष्य को भी दुःखों की अग्नि में से गुजरना पड़ता है। सुख-दुःख, हानि-लाभ, संयोग-वियोग, जन्म-मृत्यु, मान-अपमान आदि ये जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, ये जीवन के अनिवार्य अंग हैं। सुन्दर गुलाब के साथ काँटे भी रहते हैं, किन्तु गुलाब के सौन्दर्य और सुगन्ध के साथ काँटे भी सुन्दर बन जाते हैं। इसलिये दुखों का धैर्यपूर्वक क्रमशः निराकरण करते जाने से वह सुख में बदलता जाता जाता है। यदि सुख स्थायी नहीं रहा तो दुःख कैसे सदा रह सकता है? वह दुःख भी कुछ तो सिखा कर ही जाएगा, शर्त यह है कि हम उन गल्तियों से सीखें और संकल्प लें कि अब उन्हें दोबारा नहीं दोहराएंगे। संत कबीर ने यही बात कितने सटीक शब्दों में कही है-

सुख दुःख या संसार में सब काहू को होय।
ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काहे रोय।।

जो वर्तमानदर्शी होते हैं वे केवल काँटा निकालते हैं, जो त्रिकालदर्शी होते हैं वे समस्या के मूल का स्पर्श करते हैं, काँटा निकालने में विवाद नहीं है किन्तु जिस कारण से पैर कण्टकाबिद्ध हुआ उस कारण का निवारण दूरदर्शिता है, अतः निराशा से बचने के लिये, दुःखों को दूर करने के लिये भूतकाल से सीखिये, वर्तमान का अच्छे से अच्छा उपयोग कीजिये तथा भविष्य के प्रति आशान्वित रहिये। प्रत्येक बुरी से बुरी परिस्थिति को सहने के लिये तत्पर रहिये तथा अच्छे से अच्छे के लिये प्रयत्नशील रहिये साथ ही साथ दूसरों से यह अपेक्षा मत रखिये कि वे आपकी बात मानें, आपकी सहायता करें और आपकी बताई राह पर ही चलें।

किन्तु हाँ, यह भी सत्य है कि श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और आस्था के साथ ईश्वर का नाम लेकर शुभकार्य करने से सफलता अवश्य मिलती है। कारण यह है कि ईश्वर के नाम के आश्रय से बुद्धि निःशंक होती है और काम में हार्दिकता आती है। निःशंक बुद्धि और हार्दिकता से किया गया कार्य कैसे सफल न होगा, सिद्ध न होगा?

कविवर्य मैथिलीशरण गुप्त जी की इन पंक्तियों में परम प्रभु के प्रति आस्था और विश्वास लबालब भरा हुआ छलक रहा है-

सौ-सौ निराशाएँ रहें,
विश्वास यह दृढ़ मूल है,
इस आत्म-लीला-भूमि को वह,
विभु न सकता भूल है।
अनुकूल अवसर पर दयामय,
फिर दया दिखलाएँगे,
वे दिन यहाँ फिर आएँगे,
फिर आएँगे, फिर आएँगे।।

लेखिका- डॉ. रोचना भारती
साभार- अमृत-मन्थन

[कुछ याद उन्हें भी कर लो]

सुखदेव थापर

सुखदेव थापर, आर्य समाजी परिवार का कुलदीपक, पिता के शीघ्र निधन हो जाने के कारण चाचा जी के संरक्षण में बड़े हुए। चाचा जी परिवार के सबसे सक्रिय आर्य समाजी थे, अतः सुखदेव को आर्य समाज की, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वदेशी और स्वभाषा से ओतप्रोत विचारधारा का परिवेश मिला और वैसे ही उनके संस्कार बने।

जब पढ़ने के लिए कॉलेज गए, वहाँ स्वतंत्रता के दीवानों का साथ मिला। भगत सिंह जैसे साथी मिले। स्वाभाविक था संकल्प बना, भारत माँ की पराधीनता की बेड़ियों को काटने का। फिर इसके लिए भले ही जीवन उत्सर्ग क्यों न करना पड़े। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने हँसते-हँसते अपने प्राण मातृभूमि की बलिवेदी पर न्योछावर कर दिए।

सुखदेव थापर का जीवन चरित्र एक प्रेरणादायक और साहसिक गाथा है। उनका जन्म १५ मई १९०७ को लुधियाना, पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम रामलाल थापर था, जो एक सरकारी अधिकारी थे, और उनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी था, जो एक घरेलू महिला थीं।

सुखदेव थापर ने अपनी शिक्षा लाहौर और दिल्ली में प्राप्त की। उन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा लुधियाना में पूरी की और बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की। वह एक मेधावी छात्र थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

सुखदेव थापर का झुकाव बचपन से ही राजनीति और स्वतंत्रता आन्दोलन की ओर था। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की नृशंसता को देखा था। यह रूह को कंपा देने वाला नृशंस अत्याचार था। हर देशवासी का खून खौल रहा था। इसके बाद सुखदेव ने स्वतंत्रता आन्दोलन में शामिल होने का निर्णय किया व भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था।

साइमन कमीशन का आगमन जब भारत में हुआ तो उसका जोरदार विरोध किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जब वहाँ शान्तिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, 'साइमन कमीशन गो बैक' के नारे लग रहे थे तो अचानक अंग्रेजों के सिपाहियों ने डण्डे बरसाने प्रारम्भ कर दिए। उन्होंने न आयु का ध्यान रक्खा न ही किसी अन्य बात का। लाला जी के पूरे

शरीर पर डण्डे बरसाए गए, जिससे वह नीचे गिर गए और बाद में १७ नवम्बर १९२८ को उनका निधन हो गया। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि साथी आहत थे।

लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने लालाजी के जुलूस पर लाठी चार्ज के निर्देश दिए। अतः उसी को नरक पहुँचाने का क्रान्तिकारियों का इरादा था।

उन्होंने निर्णय किया कि वे जेम्स स्कॉट को नहीं छोड़ेंगे और पूरी योजना बनाकर के वे स्कॉट को मारने पहुंचे, परन्तु पहचान की भूल से सांडर्स को मार बैठे। जयगोपाल और चन्द्रशेखर आजाद की भी इसमें भूमिका रही।

यह सभी क्रान्तिकारी वहाँ से भागने में सफल रहे। भगत सिंह आदि एक योजना बनाकर के ट्रेन के रास्ते वहाँ से निकल गए। दुर्गा भाभी ने उनकी सहायता की और गोद में एक बच्चे को लेकर के पत्नी के रूप में भगत सिंह के साथ निकलीं। ताकि किसी को शक न हो।

सुखदेव थापर को १९२९ में गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें दोषी पाया गया और २३ मार्च १९३१ को भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन को नई गति प्रदान की और उन्हें आज भी एक महान् क्रान्तिकारी के रूप में याद किया जाता है।

सुखदेव की विरासत आज भी जीवित है और उन्हें भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनकी कहानी हमें स्वतंत्रता के लिए लड़ने और देश के लिए बलिदान करने की प्रेरणा देती है। वह एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने अपने जीवन को देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था।

श्रीमती दुर्गा गोरमात
नवलखा महल, गुलाब बाग, उदयपुर

बेटी घर आँगन की शोभा

यह रूप धरा की शोभा सा,
ये सद्‌गुण दिव्य प्रकाश लिये।
तुम उदित हुईं उजली उषा सी,
जीवन में अपरिमित प्यार लिये।
जन जन के प्रति अनुराग लिये।।
जब खेली थीं तुम आँगन में,
ममता के वे मधुमय क्षण थे।
हर्षित पुलकित अनुरंजित सब थे,
अंगुलि पकड़कर चलना वो।
हंस हंस गेंद संग गिरना वो।।
वे गुड़िया के संग खेल विलास,
वे मंजुल स्वर के गीत राग।
घर बाहर खुशियाँ बिखरी थी,
क्षण क्षण में था पुलकित तन मन।
इतना सुख इतना प्यार विभव।।
कैसे समेटे यह अनुरूप मन,
दाता को करते शत शत नमन।
पा लिया सुता में, जीवन धन,
ए मेरे देश के प्रबुद्ध जन।
रोको कन्या का वध जघन्य,
बेटी घर की लक्ष्मी है यह जननी है।
यही दुर्गा और सरस्वती है।।

-गायत्री पँवार
पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष
राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय; उदयपुर

धर्मनिष्ठ राजनीति और स्वामी दयानन्द

महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महाराज व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के समर्थक और प्रतिपादक थे। इस सन्दर्भ में उनकी मान्यता थी कि राजधर्म अर्थात् राजनीति का नीति और धर्म पर आधारित होना आवश्यक है। क्योंकि नीति और धर्म आधारित राजनीति ही व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान करती है, उसका सर्वांगीण विकास करने में समर्थ होती है। जो राजनीति धर्मविहीन होती है वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की समर्थक नही होती है। वहाँ धीरे-धीरे समाज में एक दूसरे के अधिकारों की छीना झपटी का राज स्थापित हो जाता है, लोगों में अकुलाहट फैलती है और कालान्तर में ऐसी छीना झपटी और अकुलाहट अराजकता में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि हम आज अपने देश में देख भी रहे हैं।

महर्षि नीति और धर्म के उपासक थे। राजधर्म में इसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कई स्थलों पर वेद की तत्सम्बन्धी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। वेद भाष्य करते हुए उन्होंने लिखा है-

(राजा).... धर्म से राज्य का पालन करो।

(यजु. भा. १६-२६)

राजा भी अधर्म से प्रजाओं को निवृत्त कर धर्म में प्रवृत्त करें और आप भी वैसा होवे। (यजु. भा. ३०-३)

तू (राजा) भी धार्मिक विद्वानों के उपदेशों के अनुकूल होने के राजधर्म का सेवन करता रह। (ऋ. भा. ३-१२-१६)

जो राजा धर्मयुक्त व्यवहार से प्रजाओं का पालन करे, वही राज्य करने योग्य होता है। (ऋ. भा. ५-३-५)

इस प्रकार महर्षि दयानन्द धर्मनिष्ठ राजनीति को राजकार्यों के संचालन के लिए उपयुक्त और उचित मानते थे। वेद की आज्ञा भी ऐसी ही है।

भारतीय संविधान को व्यवहार में हमारे राजनीतिज्ञों ने चाहे जिस प्रकार लागू किया हो, परन्तु हमारे संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण देश में धर्मनिष्ठ राजनीति को स्थापित कर मानव विकास की सभी सम्भावनाओं को शासन की नीतियों का अंग बनाना था। कांग्रेस और कांग्रेसियों के प्रेरणा स्रोत रहे महात्मा गाँधी ने भी कहा था-

'मैं देश की आँखों में धूल नहीं झोंकूँगा। मेरे निकट धर्मविहीन राजनीति कोई वस्तु नही है। धर्म के मायने बहमों और गतानुगतिकत्व का धर्म नहीं द्वेष करने वाला और लड़ने वाला धर्म (मजहब-सम्प्रदाय) नहीं, अपितु विश्वव्यापी सहिष्णुता (मानवता) का धर्म है। नीति शून्य राजनीति सर्वथा त्याज्य है।'

महात्मा गाँधी जिसे विश्वव्यापी सहिष्णुता का धर्म कहते हैं, महर्षि उसे मानव का स्वाभाविक धर्म मानते हैं। इसे हमारे संविधान में भी स्थान दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में महर्षि के चिन्तन का स्पष्ट प्रभाव दीखता है। यद्यपि भारतीय संविधान में इन नीति

निर्देशक तत्वों को आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है। परन्तु किसी भी अच्छी या बुरी चीज को यदि आप कहीं से लेना चाहते हैं तो उसके लिए यह आवश्यक है, कि आप अपने मानस में उसका पूर्ण चिन्तन कर रहे हैं, या कर चुके हैं। कहने का अभिप्राय है कि आपका अपने मानस में उठने वाला चिन्तन ही आपको अन्ततः किसी चीज को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। वह चिन्तन भी किसी ना किसी के चिन्तन से प्रेरित अवश्य होता है। अतः ये नीति निर्देशक तत्व चाहे आयरलैण्ड के संविधान से ही लिए गए हैं, परन्तु इनके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं को प्रेरित करने वाला तत्व महर्षि का चिन्तन ही था।

फिर भी हमने इन नीति निर्देशक तत्वों को उधारी मनीषा माना है। क्योंकि आयरलैण्ड की सरकार इन्हें अपने नीति निर्देशक तत्व मान सकती है, वह यह भी मान सकती है कि इन नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय से अनिवार्यतः लागू नही कराया जा सकता, परन्तु हमारी मान्यता इसके विपरीत है। हमारा मानना है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार की नीतियों की अनिवार्य घोषणा हैं। वह अपनी नीतियों से यदि इतर कार्य करने का प्रयास करती है तो इन निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए नागरिकों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का भी अधिकार होना चाहिए।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद ३८ व्यवस्था करता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद ३९ प्राविधानित करता है कि राज्य लोक कल्याण के लिए तथा न्याय की प्राप्ति के लिए अपनी नीति का इस प्रकार निर्देशन करेगा-

(१) राज्य सभी नागरिकों के लिए रोजगार के साधन जुटाने का प्रयास करेगा।
(२) राज्य की आर्थिक नीतियाँ ऐसी होनी चाहियें जिससे कि देश के भौतिक साधनों का उचित बँटवारा हो तथा अधिक से अधिक लोगों के हित में उनका उपयोग हो सके।
(३) स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।
(४) बच्चों और युवकों का आर्थिक व नैतिक शोषण न हो।
(५) राज्य का कर्त्तव्य है कि वह देखे कि पुरुषों को, महिलाओं और बच्चों को आर्थिक विवशता के कारण ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल ना हो।

संविधान के ये अनुच्छेद लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हैं। इसके बाद अन्य अनुच्छेदों का उल्लेख हम बाद में करेंगे। पहले इन दोनों अनुच्छेदों पर महर्षि दयानन्द का चिन्तन क्या था? इस पर विचार करते हैं।

राज्य का प्रमुख कार्य- प्रजापालन

महर्षि दयानन्द जी महाराज ने प्रजापालन को राजा का प्रमुख कार्य माना है। डॉ. लाल साहबसिंह के अनुसार- 'दयानन्द ने राज्य के कार्यों में रक्षणीय की रक्षा, मारने योग्य को मारना, शत्रुओं को अग्निवत भस्म करना, प्रजादि को धनों से आनन्दित करना, श्रेष्ठों का सम्मान और दुष्टों का तिरस्कार करना, धर्मपालन एवं अधर्म का नाश करना, परस्पर प्रीति, एवं उपकार करना, अविद्या और अन्याय का नाश करना, वन-सम्पदा, तथा पशु-पक्षियों का संरक्षण, राज्य की वृद्धि, चक्रवर्ती राज्य का पालन तथा शुभ कर्मों की वृद्धि एवं अशुभ कर्मों का नाश करना आदि का यत्र-तत्र उल्लेख अपने वेद भाष्य में किया है।'

महर्षि दयानन्द धर्म के दो सोपानों अर्थात् अभ्युदय और निःश्रेयस को राजधर्म का आधार मानते थे। वह राज्य के लिए उसका धर्म यही मानते थे कि उसकी नीतियाँ ऐसी हों कि जिससे लोगों का अभ्युदय हो अर्थात् भौतिक विकास हो, शारीरिक विकास हो। साथ ही निःश्रेयस की प्राप्ति हो। इसका अभिप्राय है कि लोगों का पारलौकिक अर्थात् मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी हो। महर्षि इसी प्रकार की नीतियों को धर्मनिष्ठ राजनीति मानते थे। महर्षि के इसी चिन्तन पर महात्मा गाँधी ने अपनी सहमति प्रकट की। महात्मा गाँधी 'सम्प्रदाय' अर्थात् मजहब को धर्म नहीं मानते,

वह भी धर्म उसी को मानते हैं जो विश्वव्यापी सहिष्णुता का समर्थक हो।

महर्षि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति के निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत किया है-

ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि।
सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्त्तव्यं परिरक्षणम्।। -मनु. ७/२

'जैसा परम विद्वान् ब्राह्मण होता है, वैसा विद्वान् सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत् करे।' इसका अभिप्राय है कि राज्य का मुख्य कार्य समाज में रक्षा और न्याय की व्यवस्था करते हुए शान्ति और विकास के सभी उपायों को खोजना और शासन कहा गया है। जब महर्षि राजा से यह अपेक्षा करते हैं कि उसका व्यवहार अपनी प्रजा के प्रति पितृवत् हो, अर्थात् अपनी प्रजा को वह अपने पुत्र के समान प्यार और स्नेह करता हो, तो इसका

अभिप्राय ये है कि राजा अपनी प्रजा के कल्याण हेतु सदा प्रयत्नशील रहे।

राजा का न्याय इसी में निहित है कि योग्यता के अनुसार वह सभी लोगों की आजीविका का प्रबन्ध करे। भय, भूख, भ्रष्टाचार को मिटाये और लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का विधान बनाये। उन्होंने अपने समय में नदियों की दशा को सुधारने का भी भरसक प्रयास किया। महर्षि दयानन्द पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा प्राप्ति के अपने मौलिक अधिकार से वंचित नारी जाति को वेद के पढ़ने का अधिकार दिलवाया। यहीं से नारी को समानता का अधिकार मिला। नारी जाति पर ही नहीं अपितु मानवता पर भी महर्षि का यह महान् उपकार था। आज की शिक्षित नारी को इसके लिए महर्षि का विशेष ऋणी होना चाहिए। महर्षि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है- 'जो लोग स्त्रियों के वेद पढ़ने का निषेध करते हों, तो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता, और निर्बुद्धिता का प्रभाव है।'

जब हम संविधान के उपरोक्त दोनों अनुच्छेदों का अनुशीलन करते हैं तो विदित होता है कि इनमें राजा को अर्थात् राज्य को एक पिता के समान अपनी प्रजा से वर्त्तने का दिशा-निर्देश दिया गया है। राज्य की नीतियाँ तभी लोक कल्याणकारी हो सकती हैं जबकि उनका आदर्श राज्य पितृत्व से भरा हृदय हो। वेदों से लेकर आर्य परम्परा के किसी भी ग्रन्थ में राजा को निरंकुश और अत्याचारी होना नहीं बताया गया है, अपितु राजा के इसी स्वरूप की प्रशस्ति की गयी है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि वेदों के अनुसार चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित कर सारे विश्व को कभी भारत ने मर्यादित और अनुशासित करने हेतु विश्व का नेतृत्व किया है। उन्हीं टूटी-फूटी स्मृतियों के शिला लेखों पर आयरलैण्ड ने अपने संविधान में जिन नीति निर्देशक तत्वों को स्थापित किया है, उन्हें यदि भारत ने अपना लिया है, तो इसके भी मूल में उसकी अपनी मनीषा है। इस उधारी मनीषा का भारतीयकरण नहीं किया गया। यदि इन्हें वेदों के प्राविधानों के अनुसार तथा मनुस्मृति आदि स्मृतियों के अनुसार परिष्कृत कर लिया जाता तो कहीं अधिक श्रेयस्कर रहता।

ये प्राविधान वास्तव में तो राज्य की धर्मनिष्ठ राजनीति के प्रति निष्ठा की घोषणा है, परन्तु यह शब्द इसमें डाला नही गया है। यदि इनके साथ शीर्षक में ही यह स्पष्ट कर दिया जाता कि 'राज्य की धर्मनिष्ठ राजनीति के प्रति निष्ठा की घोषणा' तो महर्षि का मन्तव्य पूर्णतः स्पष्ट हो जाता। इसका परिणाम ये होता कि व्यवहार में हमने भारतीय राजनीतिज्ञों को जिस प्रकार की अधर्म और अनीति की राजनीति को करते देखा है वह कदापि नहीं होती।

लेखक- राकेश कुमार आर्य (एडवोकेट)
साभार- वेद, महर्षि दयानन्द और भारतीय संविधान

वो माँ जिसने ने झाड़ू-पोछा कर बेटी को पहुँचाया वर्ल्ड कप तक

मुश्किलों के आगे बड़े-बड़े लोग घुटने टेक देते हैं, लेकिन झारखण्ड के गुमला जिले की रहने वाली फुटबॉलर सुधा अंकिता टिर्की हर तूफान से लड़ते हुए आगे बढ़ने वालों में से हैं और उनके इसी जज्बे और माँ के विश्वास व साथ ने उन्हें अण्डर-१७ फीफा वर्ल्ड कप तक पहुँचा दिया।

दरअसल, सुधा अंकिता को बचपन से ही पिता का साथ नहीं मिला। उनकी माँ एक जाने-माने अंग्रेजी मीडियम स्कूल में झाड़ू-पोंछा कर किसी तरह घर चलाती थीं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि सुधा अंकिता को भूखे पेट रहना पड़ा, लेकिन सुधा ने फुटबॉल को अपने से दूर नहीं होने दिया।

५ वर्ष की उम्र में पिता ने माँ व बहन के साथ घर से निकाला। ८ अक्टूबर, २००५ को जन्मीं झारखण्ड की फॉरवर्ड प्लेयर सुधा ने बताया- 'मेरे पिता चैनपुर प्रखण्ड के ही कातिंग पंचायत के खोड़ा चितरपुर गाँव में रहते हैं। वह मेरी माँ के साथ अकसर मारपीट करते थे। जब मैं केवल पाँच साल की थी, तब मेरे पिता ने मेरी माँ ललिता और छोटी बहन के साथ, हमें घर से निकाल दिया। पिता के छोड़ देने के बाद गाँव वाले माँ को ही तरह-तरह के ताने सुनाने लगे।'

लोगों के तानों से तंग आकर उनकी माँ ने गुमला जिले में ही चैनपुर प्रखण्ड से सटे दानपुर में किराए पर कमरा लेकर दोनों बहनों की परवरिश शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने झाड़ू-पोछा लगाने का काम पकड़ लिया। इससे केवल इतनी ही आय होती थी कि जैसे-तैसे गुजर बसर हो सके। कई बार किसी चीज की इच्छा होती, तो मन मार लेना पड़ता, क्योंकि सीमित आय में माँ क्या-क्या कर पातीं।

अपनी बेबसी के दिनों को याद करते हुए गुमला के सेंट पैट्रिक इण्टर कॉलेज में ११वीं कक्षा में पढ़ रहीं सुधा अंकिता टिर्की ने बताया कि कोरोना काल उनके लिए और भी ज्यादा मुसीबतें लेकर आया। स्कूल बन्द हो गए, तो माँ का काम भी बन्द हो गया। उस दौरान, कई बार भूखे पेट सोने की नौबत आई। लॉकडाउन की वजह से उनकी फुटबॉल प्रैक्टिस भी बन्द हो गई। लेकिन जैसे ही हालात सामान्य हुए, सब पहले जैसा हो गया।

अण्डर-१७ फीफा वर्ल्ड कप में चयनित होने वाली सुधा का कहना है कि इससे पहले घर की जरूरतों को पूरा करने में उनकी माँ पर कर्ज भी हो गया, जिसे उन्होंने फुटबॉल खेलकर मिले पैसों से चुकाया।

लड़कों को फुटबॉल खेलते देख हुई देख इस खेल में हुई दिलचस्पी

सुधा अंकिता बताती हैं कि वह बचपन से ही फुटबॉल खेलने की शौकीन हैं। उनके भीतर गाँव में लड़कों को

फुटबॉल खेलते देख इस खेल के प्रति दिलचस्पी पैदा हुई। उन्हें लगा कि उन्हें भी फुटबॉल खेलना चाहिए और फिर उन्होंने गाँव की गलियों में खेलना शुरू कर दिया। सुधा अंकिता को फुटबॉल खेलने को लेकर भी लोगों से ताने सुनने पड़े, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उनकी माँ हर कदम पर उनके साथ रहीं। वह सुधा अंकिता से मन लगाकर खेलने और कुछ अच्छा करने को कहती थीं।

स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही वह कई फुटबॉल प्रतियोगिताओं में भाग लेती थीं। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। इनसे उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला। फीफा वर्ल्ड कप के लिए टीम में नाम आते ही उम्मीदों को पंख लग गए। २०१६ में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के दौरान, सुधा अंकिता टिर्की का चयन इण्डिया कैंप के लिए हुआ था। इस साल फीफा अंडर-१७ वर्ल्ड कप खेला जाना था, जिसके लिए इण्डियन टीम ट्रेनिंग कैम्प पहुँच चुकी थी, लेकिन बाद में कोरोना के चलते उसे स्थगित कर दिया गया।

सुधा ने इस बीच टर्की में अभ्यास मैच भी खेला था। उन्होंने बताया कि उस समय लग रहा था कि पता नहीं यह कोरोना काल कब तक चलेगा? फिर से कैंप कब होगा? टूर्नामेंट कब होंगे? ईश्वर को धन्यवाद कि परिस्थितियाँ सामान्य हुईं।

इस साल यानी २०२२ के अप्रैल में भारतीय फुटबॉल संघ ने जमशेदपुर में इण्डिया ट्रेनिंग कैंप फिर शुरू कर दिया, ताकि अण्डर-१७ फीफा वर्ल्ड कप के लिए टीम का चयन किया जा सके। यह ट्रेनिंग कैंप २३ अप्रैल, २०२२ से लेकर ३१ मई, २०२२ तक चला। सुधा के अनुसार, कैंप में कुल ३३ खिलाड़ियों का चयन हुआ था। इसके बाद ४ अक्टूबर, २०२२ को भारतीय महिला अंडर-१७ टीम के मुख्य कोच थॉमस डेनेरबी ने फीफा अण्डर-१७ वर्ल्ड कप के लिए २१ सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें उनका भी नाम शामिल था।

(प्रतीकात्मक चित्र)

सुधा अंकिता का कहना है कि वर्ल्ड कप के लिए घोषित टीम में नाम को देखकर ही उम्मीदों को पंख लग गए। लगा कि कुछ कर दिखाने का मौका आ गया। अब फोकस केवल कप पर है।

सुधा शानदार खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप में उनसे काफी उम्मीदें थीं। अण्डर-१७ फीफा वर्ल्ड कप, भारत की ही मेजबानी में हुआ, (११ अक्टूबर, २०२२ से) इस मुकाबले को भारत के तीन राज्यों महाराष्ट्र, गोवा और ओडिशा में खेले गयें। इसमें भारत मेजबान था और पहली बार खेल रहा था। ग्रुप मैच में भारत ने अपने सभी मैच हारे।

गुमला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव सागर उरांव ने 'द बेटर इण्डिया' से बातचीत करते हुए सुधा के खराब आर्थिक हालात का जिक्र किया और कहा कि कोरोना महामारी के दौरान गुमला जिला फुटबॉल संघ ने उनकी जितनी हो सकती थी, सहायता की। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि सुधा एक शानदार फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अंडर-१७ फीफा वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन अच्छा था। फुटबॉल उन्हें एक ऊँचा मुकाम दिलाएगा।

सम्पादन- अर्चना दुबे
साभार- बेटर इण्डिया

जी हाँ, आप मृत्यु पर विजय पा सकते हैं।

आज समस्त संसार मृत्यु के भय से घिरा हुआ है, मृत्यु का यह भय संसार के प्राणीमात्र में बसा हुआ है यह भी सत्य है। राजा हो या रंक, निर्धन हो या धनवान्, कमजोर हो या बलवान्, मूर्ख हो या बुद्धिमान् चींटी से हाथी तक और छोटे से छोटे कीट-पतंगों, जीव-जन्तुओं में भी मृत्यु का भय समाया हुआ है। इसीलिए कुछ विचारधाराओं ने तो इसे मृत्युलोक ही कहना प्रारम्भ कर दिया और संसार को दुःख का सागर बताया।

मानव जीवन में क्लेश या दुःख के पाँच कारण बताए गए हैं। वे हैं-

अविद्या (अज्ञान), अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश

अभिनिवेश का अर्थ 'मृत्यु का भय' होता है और यही सबसे बड़ा कष्टदायक क्लेश है इन्हीं पाँच कारणों से जीवन में क्लेश होता है। यदि क्लेश के ये कारण मानव मस्तिष्क से दूर हो जावें तो जीवन चिन्ता, तनाव, भय, क्लेश, दुःखों से मुक्त हो सकता है। ऐसा जीवन ही स्वर्ग है, और इसके विपरीत जहाँ मानव सदा भय, दुःख, क्लेश, सन्तापों, चिन्ताओं से घिरा हुआ है वहीं नरक है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने स्वर्ग और नरक पृथ्वी के अतिरिक्त किसी अन्य विशेष स्थान पर होने को भ्रम कहा है। वे कहते हैं इसी जीवन में दोनों हैं, जहाँ सुख विशेष है वहीं स्वर्ग है और जहाँ दुःख विशेष है वहीं नरक है।

क्लेश के पाँच कारणों में **'अविद्या'** सर्वप्रथम कारण है। यदि अविद्या का अस्तित्व जीवन से समाप्त हो जावे, तो क्लेश के अन्य चारों कारणों का भी स्वतः अन्त हो जावे। इसीलिए कहा गया है, **'तमसो मा ज्योतिर्गमय।'** इसका भाव यही है कि हम अज्ञान रूपी अन्धेरे से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर चले ।

इस जीवन में अनेक कारणों से भय उत्पन्न होते रहते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। संसार के इन सारे भयों की तुलना में मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। समस्त संसार इससे चिन्तित है। किन्तु विश्वज्ञान का पहला स्रोत वेद जो परमात्मा का दिव्य ज्ञान है उसने इस महान् क्लेश को जीवन से मिटाने के रहस्य को बताते हुए सन्देश दिया। ऐ दुनिया के लोगों! तुम जिस मृत्यु से डरते हो, जो मृत्यु तुम्हारे क्लेश का कारण बनी हुई है, जिसका स्मरण ही तुम्हें विचलित कर देता है, जिसे तुम नहीं चाहते हो किन्तु फिर भी वह आ जाती है, उसके लिए तुम व्यर्थ ही चिन्ता कर रहे हो। अरे! तुम तो ईश्वर के अमृत पुत्र-पुत्री, हो तुम तो उस मृत्यु को परास्त करके उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो, और मृत्युञ्जयी बन सकते हो।

हमारे भय का एक कारण भ्रम भी है। भ्रमित व्यक्ति सत्य से दूर होकर काल्पनिक स्थिति में रहता है और इस भ्रम का कारण भी **'अज्ञानता'** है। जब तक किसी बात का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान बना रहता है और इससे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह सत्य से भटक जाता है और किसी बात को जैसी वह है उसे वैसे न मानते हुए कुछ और मानने लगता है। अविद्या के कारण वह सत्य को असत्य और असत्य को सत्य, अशुद्ध को शुद्ध और शुद्ध को अशुद्ध, चेतन को जड़ और जड़ को चेतन मान लेता है। मनुष्य आज जीवन के अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों पर भ्रमित है, यथार्थ से दूर है, भटकाव के पथ पर चल रहा है, और इस पर उसका ध्यान भी नहीं जाता है। जब ध्यान ही नहीं है तो जो चल रहा है, उसे ही मानता चला जा रहा है। चाहे वह सत्य हो या असत्य। ईश्वर, धर्म और मृत्यु के सम्बन्ध में तो यह भ्रम सबसे अधिक है।

मृत्यु के इस भय का मुख्य कारण है हम मृत्यु के अर्थ को ही ठीक से समझ नहीं पाए, और इस शरीर के अन्त को ही मृत्यु समझ कर जीवन यात्रा को यहीं विराम दे दिया। जबकि यह शरीर तो आत्मा रूपी यात्री का साधन है, इसका तो बस सहयोग यात्री अपनी यात्रा में वाहन के रूप में लेता है। यह शरीर रूपी वाहन यात्री की यात्रा पूरी नहीं करवा पाता, एक सीमा तक जहाँ तक उसकी क्षमता है, जहाँ तक उसको परमिट मिला है, बस, वहाँ तक यात्री का साथ देता है और फिर वह रुक जाता है। किन्तु यात्री की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, उसे तो अभी और आगे जाना है। इसलिए वह फिर कोई नया वाहन (शरीर) पकड़ता है और फिर से यात्रा प्रारम्भ करता है। यह क्रम सदा से चलता रहा है, यह न जाने कब से चल रहा है, और न जाने कब तक चलता रहेगा। इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। संसार में कुछ मान्यताएँ ऐसी भी हैं जो जीवन का अन्त उसके शरीर की समाप्ति पर ही मान लेते हैं। ऐसी

विचारधारा वाले पुनर्जन्म को नहीं मानते। किन्तु सनातन धर्मी पुनर्जन्म को मानते हैं।

जीवन में हमें कई बार अपने शहर से बाहर यात्रा पर जाना पड़ता है। अपनी मंजिल तक पहुँचने में हमें न जाने कितनी बार विभिन्न प्रकार के वाहन बदलने पड़ते हैं। घर से यात्रा के लिए किसी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टेण्ड तक जाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है। फिर वहाँ से दूसरे शहर तक पहुँचने के लिए भी किसी बस, हवाई जहाज, रेल जैसे किसी साधन की आवश्यकता होती है, और फिर उस शहर में पहुँचकर पुनः उस स्थान तक पहुँचने के लिए जहाँ हमें जाना है, किसी वाहन की आवश्यकता होती है। देखिए, यहाँ यात्रा एक है, पर साधन (वाहन) अनेक हैं।

ऐसे ही यह आत्मा भी यात्रा कर रही है, जो न जाने कितनी बार शरीर रूपी वाहन का उपयोग कर चुकी है। जब, जहाँ यह वाहन (शरीर) छूट जाता है, वहीं यात्री फिर अपना वाहन बदल लेता है और आगे फिर उसकी यात्रा निरन्तर चलती रहती है। इस बात को कठोपनिषद् में कुछ ऐसे स्पष्ट किया है-

'आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु'

अर्थात् यह शरीर रथ है और आत्मा उसका यात्री है। शरीर और आत्मा का संयोग यह जीवन है, और बिछोह मृत्यु है। शरीर भौतिक पदार्थों का परिणाम है, और जड़ है, इसलिए यह नाशवान् है।

नाशवान से यहाँ तात्पर्य रूपान्तरित होना है, क्योंकि

विज्ञान किसी भी पदार्थ को नष्ट होना नहीं मानता है, उसके अनुसार उसका स्वरूप परिवर्तित होता है। मृत्यु होने पर मनुष्य आकृति जो पाँच तत्वों के संयुक्त रूप से मिलकर बनी थी। उसका वह स्वरूप बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है, और उसके पाँच तत्व अपने मूल में विलीन हो जाते है ।

किन्तु आत्मा निराकार, सदा रहने वाली कभी नष्ट न होने वाली है। योगीराज श्रीकृष्ण चन्द्र जी का यह सन्देश सर्वविदित है- **'नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।'** इस प्रकार संसार में सदा रहने वाला यह अविनाशी तत्व है, इसकी यात्रा कभी रुकती नहीं है। शरीर को माध्यम बनाकर यह कर्म को पूर्णता प्रदान करती है।

जिसे हम देहान्त कहते हैं, स्वर्गवास कहते हैं, उस स्थिति को जरा समझें। जीवन आत्मा और शरीर इन दो तत्वों का संयुक्त रूप है। देहान्त होने पर इन दोनों में से एक तत्व देह को अग्नि में समर्पित किया जाता है। देहान्त का सीधा अर्थ हुआ देह (शरीर) का अन्त, इसका अर्थ हुआ कि जीवन के दोनों तत्वों में से किसी एक का अन्त हुआ और एक का अन्त नहीं हुआ। इस मृत्यु में आत्मा का अन्त नहीं हुआ और वह आत्मा वैसी ही है जैसी शरीर की प्रारम्भिक अवस्था में थी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया क्योंकि वह न तो काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, ना वह कमजोर, अशक्त, बूढ़ी होती है, वह तो अमर है। वह तो इस शरीर को अग्नि में समर्पित करने के पूर्व ही इसे छोड़कर दूर जा चुकी है, इसलिए उसे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई और न हो सकती है। मैं, तुम, यह, वह, का सम्बोधन इस आत्मा के लिए ही किया जाता है शरीर के लिए नहीं। इसलिए मृत्यु की स्थिति में मैं, तुम, यह, वह नष्ट नहीं होते, नष्ट होता है मेरा, तुम्हारा, उसका शरीर जो नाशवान् है।

यह भी समझ लेवें इस शरीर और आत्मा का बिछोह पहली बार नहीं हो रहा है। वास्तव में हमें इसकी जानकारी नहीं है कि न जाने कितनी बार यह बिछोह की प्रक्रिया पहले भी हो चुकी है, वैसे ही अब भी होगी, और आगे भी होती रहेगी। जीवन का यह शाश्वत नियम है, अटल विधान है, परमात्मा की अपरिवर्तनशील व्यवस्था है, इसे दृढ़ता से समझकर इस सत्यता को स्वीकार कर लेना चाहिए। जिस प्रकार सुबह का उगता हुआ सूरज तभी देखने को मिल सकता है जब इसके पूर्व रात्रि का आगमन हुआ हो। ऐसे ही समझें-

मौत जिन्दगी की वो शाम है,
आने वाली सुबह का पैगाम है।

जीवन-मृत्यु के इस सत्य को ठीक से न समझने के कारण जीवन का अन्त शरीर छूटने पर ही माना जा रहा है। इस कारण शरीर को ही इस जीवन में प्रमुखता प्रदान कर सब कुछ प्रयत्न और चिन्ता इसी के लिये की जा रही है। यह शरीर अधिक से अधिक सुख पावे, सुन्दर दिखे, आकर्षक दिखे इस प्रयास में जीवन के महत्वपूर्ण क्षण व्यतीत किये जा रहें हैं।

परिणामस्वरूप आत्मा जो इस जीवन और भावी जीवन का आधार है उसके लिये कोई चिन्ता नहीं है।

सत्संग-स्वाध्याय-आत्मचिन्तन जो इस आत्मा की उन्नति का आधार हैं, उनसे हम दूर हैं। इसी कारण मृत्यु के बन्धन में बँधे हैं।

लेखक- श्री प्रकाश आर्य
महू (मध्यप्रदेश), चलभाष- ९८२६६५५११७

रविन्द्र साहू आर्य समाज निम्बाहेड़ा के प्रधान मनोनीत

आर्य समाज निम्बाहेड़ा के प्रधान पद के लिए आर्य समाज के अन्तरंग सदस्यों द्वारा १० वर्षों बाद सर्वाधिक सहमति से रविन्द्र साहू को प्रधान पद हेतु मनोनीत किया गया।

मनोनयन के उपरान्त नवनियुक्त आर्य समाज प्रधान रविन्द्र साहू ने कार्यकारिणी घोषित की जिसमें आर्य समाज निम्बाहेड़ा के संरक्षक मोहनलाल आर्य पुष्प, शोभा लाल साहू, उपप्रधान इन्जीनियर चेतन मिश्रा, मंत्री-प्रकाश धाकड़, उपमंत्री-दशरथ पाटीदार, कोषाध्यक्ष-भरत आर्य, पुस्तकालय-अध्यक्ष अरविन्द चेजारा, प्रचार-प्रसार प्रभारी राधेश्याम धाकड़, विधि एवं कानूनी सलाहकार वकील रतनलाल राजोरा आर्यवीर दल अधिष्ठाता विशाल साबू, विक्रम सिंह आंजना एवं शिवलाल आंजना को सभासद मनोनीत किया।

समाज के विकास के लिए नारी सशक्तिकरण जरूरी

सृष्टि के आरम्भ से ही नर व नारी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यह बात इस तथ्य से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यदि नर व नारी दोनों में से कोई भी एक न हुआ होता तो सृष्टि की रचना ही सम्भव न थी। कुछेक अपवादों को छोड़कर विश्व में लगभग हर प्रकार के जीव-जन्तुओं में दोनों रूप नर-मादा विद्यमान हैं। समाज में यह किंवदंती प्रचलित है कि भगवान भी अर्द्धनारीश्वर हैं अर्थात् उनका आधा हिस्सा नर का है और दूसरा नारी का। यह एक तथ्य है कि पुरुष व नारी के बिना सृष्टि का अस्तित्व सम्भव नहीं, दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं। राजनीति, प्रशासन, समाज, उद्योग, व्यवसाय, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, फिल्म, संगीत, साहित्य, मीडिया, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वकालत, कला-संस्कृति, शिक्षा, आई.टी., खेल-कूद, सैन्य से लेकर अन्तरिक्ष तक नारी ने छलांग लगाई है। नारी की नाजुक शारीरिक संरचना के कारण यह माना जाता रहा है कि वे सुरक्षा जैसे कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकतीं। पर बदलते वक्त के साथ यह मिथक टूटा है। महिलाएँ आज पुलिस, सेना, और अर्द्धसैनिक बलों में बेहतरीन तैनाती पा रही हैं।

जैविक आधार पर देखें तो स्त्री-पुरुष की संरचना समान नहीं है। उनकी शारीरिक-मानसिक शक्ति में असमानता है तो बोलने के तरीके में भी। इन सब के चलते इन दोनों में और भी कई भेद दृष्टिगत होते हैं। इसी आधार पर कुछ विचारकों का मानना है कि- ‘स्त्री-पुरुष असमता का कारण सर्वथा जैविक है।’ अरस्तू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि- ‘स्त्रियाँ कुछ निश्चित गुणों के अभाव के कारण स्त्रियाँ हैं’ तो संत थॉमस ने स्त्रियों को ‘अपूर्ण पुरुष’ की संज्ञा दी। पर जैविक आधार मात्र को स्वीकार करके हम स्त्री के गरिमामय व्यक्तित्व की अवहेलना कर रहे हैं। प्रकृति द्वारा स्त्री-पुरुष की शारीरिक संरचना में भिन्नता का कारण इस सृष्टि को कायम रखना था। अतः शारीरिक व बौद्धिक दृष्टि से सबको समान बनाना कोरी कल्पना मात्र है। अगर हम स्त्रियों को इस पैमाने पर देखते हैं तो इस तथ्य की अवहेलना करना भी उचित नहीं होगा कि हर पुरुष भी शारीरिक व बौद्धिक दृष्टि के आधार पर समान नहीं होता। अतः इस सच्चाई को स्वीकार करके चलना पड़ेगा कि जैविक दृष्टि से इस जगत् में भेद व्याप्त है, पर इसे किसी की क्षमताओं को कमतर करने के रूप में नहीं देखा जा सकता।

पूरे विश्व में नारियों को अपनी पहचान बनाने लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। १९०० के आरम्भ में ‘अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस’ मनाने की शुरूआत हुई थी। वर्ष १९०८ में न्यूयार्क की एक कपड़ा मिल में काम करने वाली करीब १५ हजार महिलाओं ने काम के घण्टे कम करने, बेहतर वेतन और वोट का अधिकार देने के लिए प्रदर्शन किया था। इसी क्रम में १९०९ में अमेरिका की ही सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार नेशनल वुमन-डे मनाया था। वर्ष १९१० में डेनमार्क के कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं की अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला

दिवस मनाने का फैसला किया गया और १९११ में पहली बार १९ मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। उस समय इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसे सशक्तिकरण का रूप देने हेतु लाखों महिलाओं ने रैलियों में हिस्सा लिया। १९११ में ही महिलाओं के अधिकार के लिये लड़ने वाली नेन्सी एस्टर, ब्रिटिश संसद की पहली महिला सांसद बनीं। जैसे-जैसे महिलाएँ मुखर होती गईं, आन्दोलनों दायरा भी बढ़ता गया। १९१७ में रुस की महिलाओं ने, महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिये हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यह हड़ताल भी ऐतिहासिक थी। अन्ततः जार ने सत्ता छोड़ी और अन्तरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिये। उस समय रुस में जुलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगेरियन कैलेंडर। इन दोनों की तारीखों में कुछ अन्तर है। जुलियन कैलेंडर के मुताबिक १९१७ की फरवरी का अन्तिम रविवार २३ फरवरी को था जबकि ग्रेगेरियन कैलैंडर के अनुसार उस दिन ८ मार्च था। इस समय पूरी दुनिया में (यहाँ तक कि रूस में भी) ग्रेगेरियन कैलैंडर चलता है। तब से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए ८ मार्च को महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।

वस्तुतः समानता का व्यावहारिक रूप है 'अधिकार की समानता।' यह समानता शारीरिक पहलुओं से परे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व पारिवारिक क्षेत्रों में व्याप्त है। इस प्रकार लिंग समानता का तात्पर्य है, 'जैविक भेदों या लिंग के आधार पर असमानता नहीं होनी चाहिए।' इसी नैतिक सूत्र पर लिंग-समता का पूरा विचार टिका हुआ है। लिंग समता का प्रश्न किसी देश विशेष तक सीमित नहीं रहा है अपितु एक विश्वव्यापी अवधारणा है। चाहे वह राजनीति, प्रशासनिक, अर्थनीति, सामाजिक या रोजगार का क्षेत्र हो, सर्वत्र नारी पुरुषों से कदम से कदम मिलाकर चल रही है। लिंग असमानता का विकृत रूप जन्म से ही देखा जा सकता है जब कन्या-भ्रूण की पेट में ही हत्या कर दी जाती है। शायद इसी कारण माना जाता है कि- 'स्त्री-पुरुष असमता का एक कारण स्त्री स्वयं ही है।' चाहे वह

लालन-पालन हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, कई बार स्त्री ने ही अपनी बेटियों को बेटों की बजाय गौण स्थान प्रदान किया है। यद्यपि इस मानसिकता में समय के साथ काफी परिवर्तन हुआ है, परन्तु यह ध्यान देना होगा कि नारी स्वयं ही बेटा-बेटी के बीच भेदभाव का कारण न बने।

यहाँ पर प्रश्न उठता है कि नर-नारी समानता माने क्या? क्या नारी द्वारा हर वो कर्म किया जाना समानता का प्रतीक होगा जो पुरुष कर सकते हैं। तमाम पाश्चात्य देशों में नारी-स्वतंत्रता के नाम पर स्त्रियों ने वर्जनाओं को तोड़ने और उन्मुक्तता को ही स्वतंत्रता का नाम दिया है पर इसे पूर्णतया उचित ठहराना सम्भव नहीं। महिलाओं को बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में लुभाने के अन्दाज के कारण भी यह स्थिति उत्पन्न हुई। कुछेक इस्लामिक देशों में स्त्री के मत को 'आधा मत' माना जाता है तो तमाम देशों में अभी तक कोई महिला संसद में निर्वाचित होकर पहुँची ही नहीं है। तमाम विकसित कहे जाने वाले देशों में तो महिलाएँ राष्ट्र प्रमुख की भूमिका से भी कोसों दूर हैं। निश्चिततः इन सबके विरुद्ध लिंग समता एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरी है। इस सबके पीछे एक तत्वमीमांसीय आधार भी सन्निहित है कि सभी में एक ही सत् ईश्वर का वास है अतः असमानता जायज नहीं। विभिन्न देशों ने संवैधानिक उपबन्धों द्वारा नर-नारी असमानता का उन्मूलन कर दिया है। भारतीय संविधान भी किसी विभेद को अस्वीकार करता है।

नारी मुक्ति आन्दोलन से नारी ही प्रथमतः जुड़ी, जिसकी अभिव्यक्ति उसके लेखों, नारों इत्यादि में दिखायी देती है। लिंगीय विभेद के प्रश्न को उठाने वाली प्रथम पाश्चात्य दार्शनिक चिन्तक सिमोन द बोउआर (The second sex-१९४९) थीं। अस्तित्ववादी विचारों की पोषक बोउआर ने स्त्रियों के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों और अन्यायों का विश्लेषण करते हुए लिखा,

'पुरूष ने स्वयं को विशुद्ध चित्त (Being-for- itself : स्वयं में सत्) के रूप में परिभाषित किया है और स्त्रियों की स्थिति का अवमूल्यन करते हुए उन्हें 'अन्य' के रूप में परिभाषित किया है व इस प्रकार स्त्रियों को 'वस्तु' रूप में निरूपित किया गया है। बोउआर का मानना था कि स्वयं स्त्रियों ने भी इस स्थिति को स्वीकार कर लिया। १९वीं सदी की महान् नारीवादी ब्रिटिश लेखिका वर्जीनिया वुल्फ की 'ए रूम ऑफ वन्स ओन' से लेकर तस्लीमा नसरीन की 'औरत के हक में', हिन्दी लेखिका मैत्रेयी पुष्पा की 'आज की नारी' और प्रभा खेतान की 'बाजार के बीच, बाजार के खिलाफ' जैसी तमाम पुस्तकें नारी विमर्श को बढ़ावा देती हैं। वृंदा करात की 'भारतीय नारी संघर्ष और मुक्ति', इतालवी पत्रकार और लेखिका ओरियाना फेलेसी की 'एक खत अजन्मे बच्चे के नाम', तथा जेस्मिन लोरेंस की 'महिला श्रमिक : सामाजिक स्थिति एवं समस्याएँ', ऐलिन मोर्गन की 'नारी का अवतरण' जैसी तमाम पुस्तकें स्त्री समाज के विभिन्न आयामों को उनके परिवेश के साथ प्रतिबिंबित करती हैं और उनका विश्लेषण करती नजर आती हैं। व्यापक सरोकार को समेटे इन तमाम कृतियों के केन्द्र में स्त्री का संघर्ष और अस्मिता है। ये न तो नारेबाजी में उतरती हैं, न किसी हवालोक में जाकर कोई आदर्शवादी चित्र प्रस्तुत करने की राह पकड़ती हैं। उनके पास खुद के भोगे गए यथार्थ अनुभव और अपने परिवेश की घटनाओं की पूंजी है, जिससे नारी विमर्श आकार लेता है।

आज जरूरत है नर व नारी के बीच जैविक विभेद से परे सामंजस्य स्थापित करने और तद्नुसार सभ्यता के विकास हेतु कार्य करने की। नारी आन्दोलन मात्र एक पक्ष की आलोचना करके दूसरे पक्ष को मजबूत नहीं बना सकता है। यह सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्यप्रद नहीं है।

लिंग समानता एक सुसंगत आदर्श है और इसके लिए हमें उन आदर्शों की ओर झांकना पड़ेगा जहाँ से यह शुरू होती है। इस हेतु जरूरी है कि पुस्तकों के स्तर पर लिंग-अभिनति समाप्त किया जायें। स्त्रियों की शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार व स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने के साथ-साथ स्त्रियों में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता व चिन्तन पैदा करने की परम आवश्यकता है। यद्यपि संविधान उन्हें शक्तियाँ प्रदान करता है पर स्त्रियों को इसमें स्वयं सक्रिय भूमिका निभानी होगी तथा हर प्रकार के भेद-भाव, शोषण, अन्याय, अत्याचार व दमन का डटकर मुकाबला करना होगा, तभी स्त्रियों की स्वतन्त्र पहचान बन पायेगी और एक व्यापक रूप में उनका स्वतन्त्र अस्तित्व कायम हो पायेगा। ऐसी ही स्थिति में लिंगीय समानता व्यावहारिक रूप में पूरे विश्व में स्थापित होगी।

नर-नारी सृष्टि रूपी परिवार के दो पहिये हैं। तमाम देशों ने संविधान के माध्यम से इसे आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है पर जरूरत है कि नारी अपने हकों हेतु स्वयं आगे आये। मात्र नारी आन्दोलनों द्वारा पुरुषों के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा। पुरुषों को भी यह धारणा त्यागनी होगी कि नारी को बराबरी का अधिकार दे दिया गया तो हमारा वर्चस्व समाप्त हो जायेगा। उन्हें यह समझना होगा कि यदि नारियाँ बराबर की भागीदार बनीं तो उन पर पड़ने वाले तमाम अतिरिक्त बोझ समाप्त हो जायेंगे और वे तनावमुक्त होकर जी सकेंगे। आज जरूरत है नारी जाति की उपलब्धियों को पितृसतात्मक समाज में स्वीकार किया जाना और उनकी उपलब्धियों की हर कीमत पर रक्षा करते हुए विस्तार। यह नर-नारी समता का एक सुसंगत एवं आदर्श रूप होगा।

- कृष्ण कुमार यादव
पोस्टमास्टर जनरल, उत्तरी गुजरात परिक्षेत्र,
अहमदाबाद- ३८०००४, चलभाष- ०९४१३६६६५९९

ग्रीष्म ऋतु में आहार-विहार एवं स्वास्थ्य रक्षा

आयुर्वेदज्ञ प्राचीन ऋषियों ने आयुर्वेद की संहिताओं में स्वास्थ्य की दृष्टि से ऋतु विभाजन कर उन ऋतुओं में क्या हितकर है और क्या अहितकर है इसका विस्तृत वर्णन किया है। फिर भी मनुष्य अज्ञानतावश या प्रमादवश उनका पालन नहीं करने से अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर कष्ट पाता रहता है। आजकल ऋतुजन्य विकृतियों से बचाव हेतु अनेक वैज्ञानिक उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं। एक तो उनकी पहुँच सम्पन्न वर्ग तक ही हैं और दूसरे उनके अति प्रयोग से कुछ न कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। हमारे प्राचीन आयुर्वेदज्ञ महर्षियों के उपदेश आज के वैज्ञानिक उपकरणों जैसे नहीं हैं। इनसे सम्पूर्ण जगत् के प्राणियों को लाभ मिलता है और उनका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता। आचार्यों के अनुसार ग्रीष्म ऋतु के लिए हिताहितकर आहार-विहार के विषय में विचार करते हैं।

वैसे तो प्रत्येक मौसम में प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में शीघ्र उठना चाहिए। फिर भी ग्रीष्म ऋतु में प्रातः शीघ्र उठना विशेष लाभदायक है। चरक सूत्र स्थान में महर्षि चरक लिखते हैं-

ब्राह्मे मुहूर्त या निद्रा सा पुण्यक्षयकारिणी।
तां करोति चयो मोहात् पापं कृच्छ्रेण शुध्यति।।
व्यायामं चात्र वर्जयेत। - चरक सूत्र

इस ऋतु में व्यायाम का निषेध है। लेकिन तैरने का व्यायाम फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने के साथ शीतलता भी प्रदान करता है। इस मौसम में सायंकाल जलाशयों, झरनों तथा बगीचों में घूमना लाभप्रद है। यद्यपि अन्य ऋतुओं में दिन में सोने का निषेध है तथापि ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना लाभदायक है।

आहार- इन दिनों में स्वादु शीतल द्रव्य, स्निग्ध अन्नपान हितकर होते हैं। नींबू की शिकंजी तथा सत्तू का शर्बत भी इस मौसम में उत्तम पेय है। भात में घी, दूध व खांड मिलाकर खाना स्वास्थ्यप्रद है। धारोष्ण दूध, खीर, गन्ने का रस, मौसमी फल अनार व सन्तरे का रस लेना चाहिए। इस ऋतु में गुलाब, केवड़ा, अनार, बादाम, ब्राह्मी आदि से निर्मित शर्बत हृदय व मस्तिष्क को लाभ पहुँचाते हैं।

ग्रीष्म ऋतु में त्याज्य पदार्थ- इस ऋतु में खट्टे, चटपटे, मिर्च मसालेदार, अधिक नमकीन, बर्फ,

कुल्फी, आइसक्रीम, कोकाकोला आदि कोल्ड ड्रिंक्स और रुक्ष, उष्ण पदार्थों का सेवन न करें। अध्यशन (खाने के पाचन होने से पहले पुनः खाना) व मैथुन न करें। मद्यपान, व्यायाम व दूध का सेवन भी हानिकारक है। दिन में ४०-५० मिनट से ज्यादा सोना भी वर्जित है। लू लगने से बचाव करें। धूप में चलने से पहले छाता, टोपी या पगड़ी लगावें। घर से बाहर निकलने से पूर्व जल अवश्य पीवें। यदि लू लग जाये तो रोगी को सुखद बिस्तर पर लिटा देवें। बेहोशी होने पर शीतल, सुगन्धित जल का छिड़काव करें। प्यास लगने पर थोड़ा-थोड़ा पानी दें या बर्फ का टुकड़ा चूसने को दें। नारियल का पानी, सौंफ अर्क तथा गुलाबजल दें। सौंठ, जीरा, काली मिर्च डालकर आम का पन्ना पीने को देवें।

ग्रीष्म ऋतु में उल्टी, दस्त, आंव, रक्तातिसार (पेचिश) व बच्चों में आँख आना आदि रोग अचानक हो जाते हैं। पेट के विकारों के लिए- अर्क कपूर, अर्क पोदीना, अमृत धारा, लवण भास्कर चूर्ण, हिंग्वष्टक चूर्ण, कुटजारिष्ट आदि औषधियों का आवश्यकतानुसार प्रयोग कर सकते हैं। आँख के विकारों के लिए गुलाबजल में लाल फिटकरी घोलकर रख लें। इसकी दो-दो बूँद आँख में डालने से अच्छा लाभ हो जाता है।

ग्रीष्म ऋतु में कभी-कभी नाक से खून आने लगता जो काफी देर तक बन्द नहीं हो पाता ऐसी अवस्था में रोगी को ऐसे लिटायें जिससे उसके सिर व नासिका ऊपर उठी रहे। उसी समय सिर को धो देवें व माथे पर बर्फ रखें। खून गिरना बन्द हो जाये तो रोगी को दूब की ठंडाई बना कर मिश्री मिलाकर पिलावें व नाक में दूब का रस टपकायें। यदि पित्त की वृद्धि हो गई हो और गर्मी ज्यादा अनुभव हो रही हो तो प्रवालपिष्टी ५०० मि.ग्रा. मुक्तापिष्टी २५० मि.ग्रा. व गिलोयसत्व १ ग्राम मिलाकर आँवले के मुरब्बे के साथ देवें। चन्दनासव व उशीरासव २०-२० मि.ली. मिलाकर बराबर जल के साथ पिलावें।

डॉ.वेदमित्र आर्य
सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी
13, श्री रामनगर, सेक्टर-6, उदयपुर

आजीवन सत्यार्थ मित्र

सत्यार्थमित्र योजना में प्रतिवर्ष 5100 रुपए देने के क्रम में कुछ बन्धु प्रतिवर्ष रिन्यूअल कराने के झंझट से विरत रहना चाहते हैं, अतः न्यास ने अपनी पिछली बैठक में यह निश्चय किया है कि आजीवन सत्यार्थमित्र के रूप में जो भाई बहिन रु.51000 एकमुश्त जमा करा दें तो उनका यह सहयोग आजीवन सत्यार्थमित्र के रूप में मान्य होगा। समर्थ आर्यजन इस दिशा में सकारात्मक सहयोग करने का श्रम करें।

सत्यार्थप्रकाश प्रचार सहयोग निधि

सत्यार्थ प्रकाश से उत्कृष्ट कोई ग्रन्थ नहीं जिसके प्रकाशन में आपकी पुण्य दान राशि का प्रयोग हो। सत्यार्थ प्रकाश प्रचार हेतु, कम राशि में अधिक संख्या में यह महान् ग्रन्थ जन-जन के हाथों में पहुँच सके, एतदर्थ निम्न योजना निर्मित की गई है-

सत्यार्थप्रकाश के प्रचार हेतु कृपया निम्नानुसार सहयोग कर लागत मूल्य से आधी कीमत में सत्यार्थप्रकाश का दिया जाना सुनिश्चित करें। आपके द्वारा सहयोगार्थ प्रदान की गई राशि के समक्ष अंकित प्रतियों पर आपका अथवा आपके किसी प्रियजन का चित्र ग्रन्थ के कवर पर दिया जावेगा।

1000 प्रतियों के प्रकाशन हेतु 25000 रुपये का दान देने का श्रम करें। 10 प्रतियाँ निशुल्क आपके पास भेजी जाएँगी।

आपका दान आयकर अधिनियम की धारा ८० जी के अन्तर्गत करमुक्त होगा। राशि न्यास के नाम ड्राफ्ट या चैक द्वारा भेजें अथवा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, उदयपुर खाता क्रमांक 310102010041518, IFSC-UBIN 0531014 में जमा कर सूचित करें।

अशोक आर्य, अध्यक्ष-न्यास **भवानीदास आर्य**, मंत्री-न्यास **डॉ. अमृत लाल तापड़िया**, संयुक्तमंत्री-न्यास

कहानी दयानन्द की

कथा सरित

कोलकाता उन दिनों विद्या की नगरी थी। स्वामी जी से मिलने अनेक विद्वान् लोग आने लगे। ब्राह्म समाज के लोग तो उनमें से प्रमुख थे ही परन्तु अन्य विद्वज्जन भी, जैसे पण्डित महेश चन्द्र न्याय रत्न, पंडित ताराचरण तर्क वाचस्पति इत्यादि। ताराचरण तर्कविद्या वाचस्पति अपने को बहुत बड़ा विद्वान् मानते थे और तर्कशास्त्र में इतना प्रवीण अपने को मानते थे कि उन्होंने ७० प्रश्न बना रखे थे और उनका दावा था कि इन प्रश्नों का उत्तर कोई भी नहीं दे सकता। जब स्वामी जी से साक्षात् हुआ तो उन्होंने यही प्रश्न स्वामी जी को दिए। स्वामी जी ने उन सब का उत्तर २२-२३ उत्तरों में ही दे दिया, तब ताराचन्द जी स्वामी जी की विद्वता को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। ताराचन्द ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा विचार था कि पृथ्वी पर कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता परन्तु इन्होंने दम भर में उत्तर दे दिए, अतः हम बहुत अधिक प्रसन्न हैं।

कोलकाता के लोगों की उनके बारे में क्या समझ थी, ब्राह्म पत्रिका में प्रकाशित चैत्र १, १७९४ शक के अंक में जो लिखा है उसे पूरा पढ़ने पर स्वामी जी का सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व हमारी समझ में आ जाता है। इसका एक छोटा सा अंश यहाँ प्रस्तुत है।

एक विशेष बात वहाँ लिखी गई है कि जैसा आजकल विद्वानों की कथनी और करनी में भेद दृष्टिगत होता है, वैसे स्वामीजी न थे। स्वामी जी केवल व्याख्यान नहीं देते थे परन्तु ईश्वर भक्त वह उच्च कोटि के थे। अतः वह साधना भी उनके जीवन में रची बसी थी। पत्र लिखता है- 'यही नहीं है कि सरस्वती जी केवल व्याख्यान ही देते हैं प्रत्युत् प्रातः काल और सायं काल की दोनों संध्याओं में ५-६ घण्टे ईश्वर के ध्यान और उपासना में लगाते हैं। उनमें अन्तर्दृष्टि विशेष भाव से देखी जाती है। इन्द्रिय निग्रह, आत्म संयम उनके विश्वास के अनुगत हैं और इस विषय में उन्होंने विशेष यत्न किया है। इन्हें देखने से वीरत्व, महत्व, गांभीर्य, उच्चाशा के लक्षण सुस्पष्टतया लक्षित होते हैं। वे अपना जीवन प्रतिदिन उपासना, अध्ययन, व्यायाम और धर्मालाप में बिताते हैं। वे जो कुछ कहते हैं उसमें से बहुत कुछ उनके जीवन की कथा है।' तो यह सम्मति थी, यह प्रभाव था स्वामी दयानन्द का।

स्वामी जी कोलकाता से हुगली पहुँचे। वहाँ वर्ण भेद को लेकर के पुनः एक प्रकरण में स्वामी जी ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में आजकल जहाँ ब्राह्मण श्रेणी ही पाचक का कार्य करती दिखाई दे रही है प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था। ब्राह्मण का कार्य रसोई बनाना नहीं है। यदि ऐसा होता तो अज्ञातवास के समय विराट भवन में भीमसेन प्रधान रसोइए कैसे बन सकते थे? यह बात नहीं थी कि पहले समय में वर्ण जन्मगत ना हो। जन्मगत तो था परन्तु निम्नस्थ जाति-गुण-कर्म से उच्चतर और उच्चतर,दोष से निम्नतर हो जाती थी। बाबू अक्षय चन्द्र सरकार स्वामी जी के निकट बैठे हुए थे, स्वामी जी ने उनकी ओर उँगली से निर्देश करके कहा यदि पहला समय होता तो यह विनीत शिष्ट विद्या बाबू अवश्य ही ब्राह्मण हो जाता। स्पष्ट है कि योग्यता के सम्पादन के साथ वर्ण परिवर्तन स्वामी जी का मत था।

प्रस्तुति- नवनीत आर्य
नवलखा महल, उदयपुर

आर्य समाज उदयपुर के वार्षिक चुनाव सम्पन्न

नगर के सबसे प्राचीन आर्य समाज उदयपुर (पिछोली) के वार्षिक चुनाव निर्वाचन अधिकारी रमेश जायसवाल ने सम्पन्न कराए। चुनाव सर्वसम्मति से हुए जिसमें डॉ. अनन्त प्रकाश गुप्ता-प्रधान, सत्यप्रिय आर्य-मंत्री, महेश चन्द्र मित्तल-कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। मनोरमा गुप्ता एवं इन्द्रदेव पीयूष उपप्रधान, यशवन्त श्रीमाली उपमंत्री एवं सुरेश चन्द्र चौहान प्रचार मंत्री निर्वाचित हुए।

मंत्री सत्यप्रिय ने बताया कि इससे पूर्व समाज के वरिष्ठतम सदस्य प्रेमचन्द गुप्त के द्वारा यज्ञ सम्पादित किया गया। कोषाध्यक्ष महेश चन्द्र मित्तल द्वारा वर्ष २०२४-२५ का आय-व्यय विवरण सदन में रखा गया तथा मंत्री सत्यप्रिय ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर भवानीदास आर्य, शंकरलाल मरमट, स्नेहलता गुप्ता, नीतू गुप्ता, योगिता श्रीमाली, श्यामबाबू दीक्षित, रजनी दीक्षित, सरला गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, जयेश आर्य, द्रुपद सिंह चौहान, प्रमोद शर्मा, उषा शर्मा, भाग्यश्री शर्मा सहित अनेक आर्यजनों की उपस्थिति रही।

– सत्यप्रिय आर्य; मन्त्री

सत्यार्थ मित्र बनें

न्यास के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 5100 रु. (पाँच हजार एक सौ) वार्षिक का सहयोग प्रदान करें।

आपका मात्र ५१०० रुपये वार्षिक का सहयोग न्यास के कार्य को अद्वितीय गति प्रदान कर सकता है।

हमारे अत्यन्त आत्मीय बन्धुजन!

इस अपील को मेरी व्यक्तिगत अपील कहिए अथवा न्यास की अपील समझिए। यह आप तक पहुँचे और आपकी आत्मीयता हमें प्राप्त हो, इसी नाते हम प्रथम बार अर्थ सहयोग का निवेदन कर रहे हैं।

आपको यह जानकारी होगी ही कि नवीन, आकर्षक प्रकल्पों का निर्माण कर न्यास सहस्रों लोगों तक वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्वों को अग्रप्रसारित कर रहा है। सत्यार्थ प्रकाश भवन, नवलखा महल, उदयपुर द्वारा आर्यावर्त्त चित्रदीर्घा में वेद, वेद के प्रादुर्भाव, भारतीय ऋषियों के योगदान, योगिराज श्री कृष्ण और भगवान राम के पावन जीवन–चरित्र, मेवाड़ की माटी के गौरव महाराणा प्रताप, आर्यसमाज के रत्नों, भारत को स्वतन्त्रता दिलाने वाले क्रान्तिकारियों, सत्यार्थ प्रकाश चित्रावली एवं महर्षि दयानन्द के जीवन चरित्र के माध्यम से व संस्कार वीथिका के माध्यम से मानव निर्माण की पूरी योजना आगन्तुकों के सामने रखी जा रही है। इस क्रम में मानों महर्षिवर की संस्कार विधि मूर्तरूप में चित्रित हो गयी है।

वहीं उच्चतम गुणवत्ता के 3D थियेटर का निर्माण कर महापुरुषों के जीवन–चरित्र का दिग्दर्शन भी कराया जा रहा है। यहाँ यह अंकित करना आवश्यक है कि मुक्त हस्त से दिए हुए उदार अर्थ के सहयोग से भव्य संस्कार वीथिका परिसर व थियेटर का निर्माण माननीय सुरेश चन्द्र जी आर्य; अहमदाबाद और माननीय दीनदयाल जी गुप्त; कोलकाता के पवित्र सहयोग से हो पाया है एवं संस्कारों का निर्माण आर्यजनों के सामूहिक सहयोग से एकत्रित धन से हुआ है। परन्तु इनको गति देने के लिए, वर्ष में सारे प्रकल्प 365 दिन गतिशील रहें, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ लोग आगे आएँ और प्रतिवर्ष अपना योगदान दें, इसीलिए आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ। **मैं व्यक्तिगत रूप से अनुगृहीत होऊँगा अगर आप मात्र 5100 सौ रुपये प्रतिवर्ष देने का संकल्प लेंगे।** न्यास का एकाउन्ट नम्बर भी नीचे अंकित है। न्यास को प्रदत्त दान आयकर अधिनियम की धारा 80G के अन्तर्गत कर मुक्त है।

हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर 5100 रुपये वार्षिक का यह अर्थ सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। **निश्चित मानिये आपके सहयोग से जो ऊर्जा और गति हमें मिलेगी वह लाखों लोगों तक वैदिक संस्कृति के उदात्त मूल्यों को सम्प्रेषित करने में मील का पत्थर साबित होगी।**

निवेदक- अशोक आर्य, अध्यक्ष–न्यास

चैक श्रीमद् दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश न्यास के पक्ष में बना न्यास के पते पर भेजें। अथवा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मेन ब्रांच, दिल्ली गेट, उदयपुर बैंक एकाउन्ट का विवरण : AC. No. : 310102010041518, IFSC CODE- UBIN 0531014, MICR CODE- 313026001 में जमा करा कृपया सूचित करें।

समाचार

आर्य समाज हिरण मगरी एवं दयानन्द शिक्षा प्रसारिणी समिति; उदयपुर के निवार्चन सम्पन्न

आर्य समाज हिरण मगरी; सेक्टर-४, उदयपुर की नवीन वार्षिक कार्यकारिणी का गठन १३ अप्रैल २०२५ को चुनाव अधिकारी आर्य समाज; पिछोली उदयपुर के प्रधान प्रकाश चन्द्र श्रीमाली के निर्देशन में समपन्न हुआ। मंत्री वेद मित्र आर्य ने बताया कि संरक्षक प्रो. डॉ. अमृतलाल तापड़िया और श्रीमती शारदा गुप्ता के सान्निध्य में उपस्थित सभासदों द्वारा प्रधान भँवर लाल आर्य, उप प्रधान कृष्ण कुमार सोनी

और ललित मेहरा, मंत्री डॉ. वेदमित्र आर्य, उप मंत्री सरला गुप्ता और सुभाष चन्द्र कोठारी, कोषाध्यक्ष रमेश चन्द्र जायसवाल, प्रचार मंत्री भूपेन्द्र शर्मा, पुस्तकालयाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, अन्तरंग के सदस्य संजय शाण्डिल्य, देवेन्द्र आर्य, चन्द्रकान्ता आर्या, हजारीलाल आर्य और प्रीति चौहान को निर्विरोध चुना गया। पुरोहित के दायित्व का निर्वहन सरला गुप्ता, इन्द्र प्रकाश वैदिक, रामदयाल मेहरा, चन्द्रकान्ता वैदिका और भूपेन्द्र शर्मा करेंगे। आर्य समाज हिरण मगरी के आन्तरिक लेखा निरीक्षक अंबालाल सनाढ्य रहेंगे।

ऐसे ही आर्य समाज हिरण मगरी द्वारा संचालित दयानन्द कन्या विद्यालय की दयानन्द शिक्षा प्रसारिणी समिति की नवीन कार्यकारिणी का गठन १२ अप्रैल २०२५ को किया गया। मंत्री कृष्ण कुमार सोनी ने बताया कि द्विवार्षिक कार्यकारिणी की चुनाव प्रक्रिया आर्य समाज उदयपुर के मंत्री आचार्य सत्यप्रिय आर्य द्वारा सम्पन्न करवाई गई। जिसमें अध्यक्ष भँवरलाल आर्य, उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता मेहरा, मंत्री कृष्ण कुमार सोनी, उप मंत्री भूपेन्द्र शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रीति चौहान को निर्विरोध चुना गया। अन्तरंग सदस्य के रूप में प्रो डॉ. अमृतलाल तापड़िया, श्रीमती शारदा गुप्ता, श्रीमती सरला गुप्ता और संजय शांडिल्य को निर्वाचित किया गया। मानद निदेशक श्रीमती पुष्पा सिंधी पूर्ववत विद्यालय का मार्गदर्शन करेंगी। आरम्भ में मंत्री कृष्ण कुमार सोनी ने विद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन का वाचन किया। शान्ति पाठ के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

– भूपेन्द्र शर्मा

हमारे आदर्श राम, कृष्ण, दयानन्द- डॉ. विवेक आर्य

आर्य समाज हिरण मगरी; उदयपुर द्वारा १६ अप्रैल २०२५ को आयोजित वैदिक विद्वान्, लेखक और आर्य जगत् के सुविख्यात वक्ता डॉ. विवेक आर्य, नई दिल्ली की दो दिवसीय व्याख्यानमाला में डॉ. आर्य ने कहा कि हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, योगीराज श्री कृष्ण चन्द्र, महर्षि दयानन्द सरस्वती जैसे आप्त पुरुष हैं। उन्हीं के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेकर हमें वैदिक संस्कृति को जानने, मानने और आचरण में लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम आर्य अर्थात् श्रेष्ठ मानव बनने की दिशा में अग्रसर हैं। प्रचार मंत्री डॉ. भूपेन्द्र शर्मा ने बताया कि नई दिल्ली के वैदिक विद्वान् और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. विवेक आर्य ने 'आर्य समाज का आधुनिक समाज को योगदान' विषय पर व्याख्यान देते हुए स्वामी दयानन्द सरस्वती, पंडित लेखराम, स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती आदि के वेद प्रचार के कार्यों, सामाजिक कुरीतियों, अंध विश्वास, पाखण्ड के उन्मूलन, शुद्धि आन्दोलन द्वारा घर वापसी

आदि अनेक कार्यों पर प्रकाश डाला। अंत में डॉ. आर्य का मेवाड़ी पाग, गायत्री मंत्र पट्टिका और पत्रम्-पुष्पम से अभिनन्दन आर्य समाज हिरण मगरी के प्रधान भँवर लाल आर्य, मंत्री डॉ. वेदमित्र आर्य और कोषाध्यक्ष रमेश चन्द्र जायसवाल द्वारा किया गया। संचालन आर्य समाज हिरण मगरी के प्रचार मंत्री और पुरोहित डॉ. भूपेन्द्र शर्मा ने किया। आरम्भ में पुरोहित राम दयाल मेहरा द्वारा यज्ञ करवाया गया। आभार मंत्री डॉ. वेदमित्र आर्य ने ज्ञापित किया। शान्ति पाठ के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

– डॉ. भूपेन्द्र शर्मा; प्रचार मंत्री

माता तारामणि आर्य का निधन

आर्य जगत् के प्रसिद्ध नेता, विद्वान् लेखक, परोपकारिणी सभा के पूर्व

प्रधान माननीय श्री गजानन्द जी आर्य की धर्मपत्नी और श्री महेन्द्र आर्य और नरेन्द्र आर्य की पूज्या माताजी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। माताजी इस न्यास को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करती थीं। पिछले दिनों उनसे बात करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। विधाता की अटल व्यवस्था है, हमें सर झुकाना ही पड़ता है। आदरणीय श्री सत्यानन्द जी आर्य, भाई श्री महेन्द्र आर्य, भाई श्री नरेन्द्र आर्य व अन्य परिवारी जन सभी सुविज्ञ जन हैं। हमें विश्वास है कि वे धैर्य पूर्वक इस वियोगजन्य पीड़ा को सहन करेंगे। न्यास के सभी न्यासीगणों की ओर से तथा सत्यार्थ सौरभ परिवार की ओर से हम पूज्या माताजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, परमपिता परमात्मा के चरणों में निवेदन करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपनी ममतामयी गोद में स्थान प्रदान करें।

– अशोक आर्य, अध्यक्ष न्यास

आर्य समाज का एक स्तम्भ ढहा

आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता एवं भामाशाह के रूप में अपनी दान सरिता से अनेकानेक आर्य संस्थाओं को पुष्पित पल्लवित करने वाले इस न्यास के माननीय न्यासी बाबू मिठाई लाल सिंह जी का देहान्त गत

दिनों में हुआ। यह सम्पूर्ण आर्य जगत् के लिए एक वज्रपात के समान है। बाबूजी का जाना एक युग के समाप्त हो जाने जैसा है। न्यास को और विशेषतः व्यक्तिगत रूप से हमें, सदैव उनकी आत्मीयता सहज उपलब्ध थी। अब वह सारी यादें स्मृति पटल पर रह रहकर उमड़ती हैं।

परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपनी आनन्दमयी गोद में स्थान प्रदान करें और ऐसे महान् आत्मा के पुत्रों को, परिजनों को, इस श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा करते रहें। और हमें उनके मार्ग का अनुसरण करने के संकल्प को निभाने की शक्ति प्रदान करें। न्यास और सत्यार्थ सौरभ परिवार की ओर से पूज्य बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि।

- अशोक आर्य; अध्यक्ष-न्यास

मान्या बहन ज्योति गुलाटी जी की माता श्री का देहावसान

एम. डी. एच. के अध्यक्ष महाशय राजीव गुलाटी जी की धर्मपत्नी (निदेशक एम. डी. एच.) मान्या बहन ज्योति गुलाटी जी की माता श्री के देहावसान का दुःखद समाचार ज्ञात हुआ। माँ का बिछुड़ना निस्सन्देह अतीव पीड़ा दायक है, परन्तु यह विषय परमात्मा के अधीन है। मनुष्य तो केवल सर झुका करके स्वीकार कर सकता है।

पूज्य महाशय धर्मपाल गुलाटी इस न्यास के आजीवन अध्यक्ष रहे और उनके पश्चात् उनके सुपुत्र और जाने-माने भामाशाह महाशय राजीव जी गुलाटी इस न्यास को सम्बल प्रदान कर रहे हैं। इस दुःखद अवसर पर न्यास के सभी न्यासीगण दिवंगत आत्मा के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए परमपिता परमात्मा के चरणों में निवेदन करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपनी ममतामयी गोद में स्थान प्रदान करने की कृपा करें और शोक संतप्त परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करें।

- अशोक आर्य; अध्यक्ष-न्यास

जयपुर के आर्य चन्द्रशेखर शर्मा को पितृ शोक

महर्षि दयानन्द के सिद्धान्तों को मानने वाले एवं इस न्यास के सहयोगी जयपुर निवासी श्रीमान् चन्द्रशेखर जी के पिताश्री आर्यश्रेष्ठि पण्डित शंकरलाल जी शर्मा का निधन केवल उनके परिवार ही नहीं अपितु आर्य समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। परन्तु यह विषय परमात्मा के अधीन है। मनुष्य तो केवल सर झुका करके स्वीकार कर सकता है।

इस दुःखद अवसर पर न्यास एवं सत्यार्थ सौरभ परिवार दिवंगत आत्मा के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए परमपिता परमात्मा के चरणों में निवेदन करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपनी ममतामयी गोद में स्थान प्रदान करने की कृपा करें और शोक संतप्त परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करें।

- भवानीदास आर्य; मंत्री-न्यास

श्री योगेश मुंजाल जी लाला दीवान चन्द ट्रस्ट के प्रधान निर्वाचित

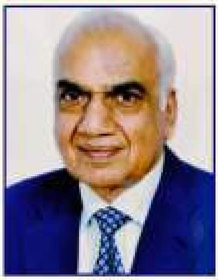

डी.ए.वी कालेज प्रबन्धकर्त्री समिति के उपप्रधान, श्री महर्षि दयानन्द सरस्वती स्मारक ट्रस्ट टंकारा के कार्यकारी प्रधान, उद्योगजगत के उद्योगपति, प्रसिद्ध समाज सेवक महात्मा सत्यानन्द मुंजाल के सुपुत्र **श्री योगेश मुंजाल जी को लाला दीवान चन्द ट्रस्ट का प्रधान सर्वसम्मति से निर्वाचित किए गए हैं।** हम टंकारा ट्रस्ट की ओर से हार्दिक शुभकामनायें एवं बधाई प्रेषित करते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सामर्थ्य दे ताकि उनके नेतृत्व में लाला दीवान चन्द ट्रस्ट दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर पहुंचकर समाज सेवा के कार्यों में अग्रसर रहें।

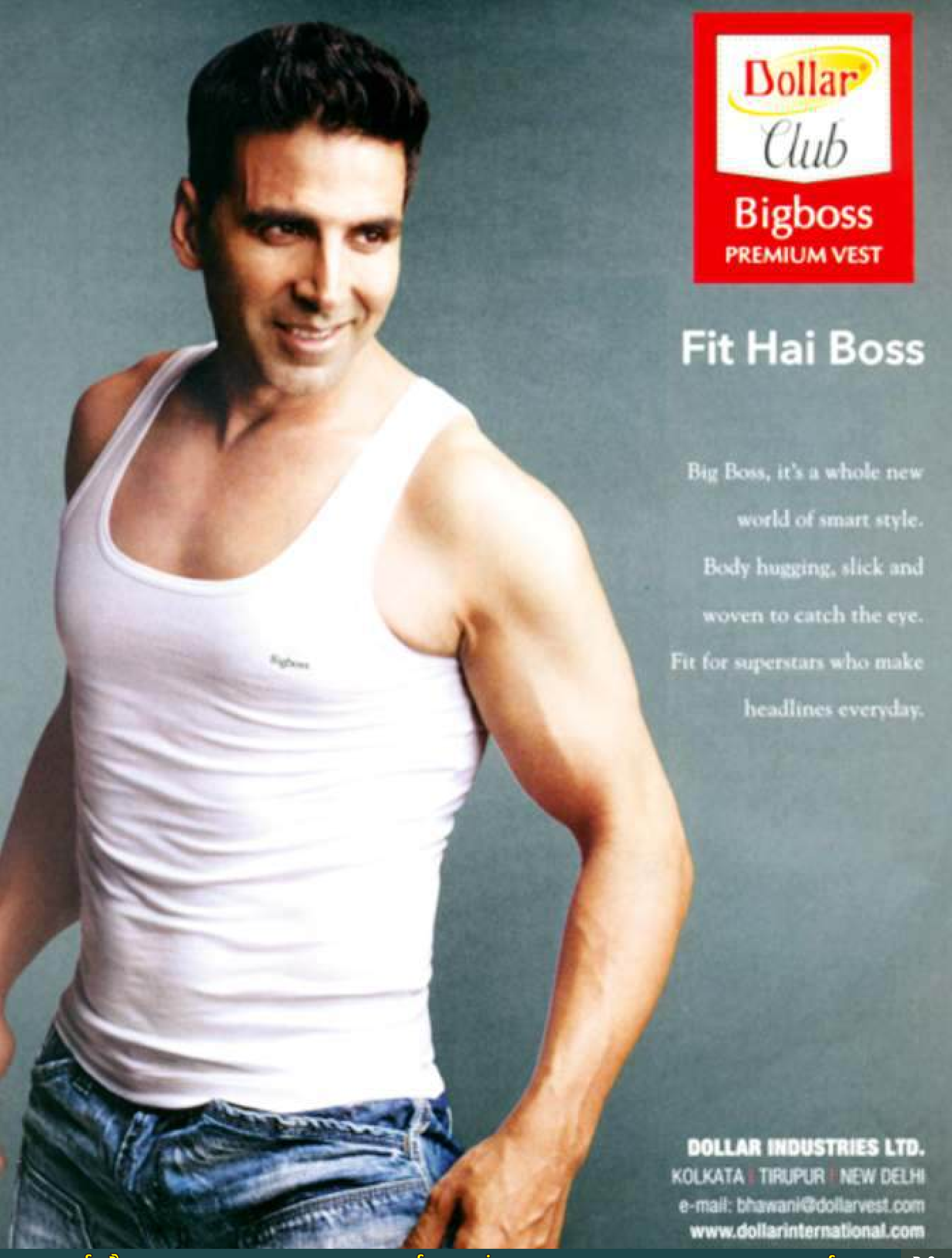
Dollar
Club
Bigboss
PREMIUM VEST
Fit Hai Boss
Big Boss, it's a whole new
world of smart style.
Body hugging, slick and
woven to catch the eye.
Fit for superstars who make
headlines everyday.
DOLLAR INDUSTRIES LTD.
KOLKATA | TIRUPUR | NEW DELHI
e-mail: bhawani@dollarvest.com
www.dollarinternational.com

RNI Registration No. RAJHIN/2012/47777 May-2025 Postal Registration No. RJ/UD/29-107/2025-2027

सब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार का बनावे जो औषधरूप होकर घर, शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे।

- सत्यार्थप्रकाश चतुर्थ समुल्लास पृष्ठ ९६

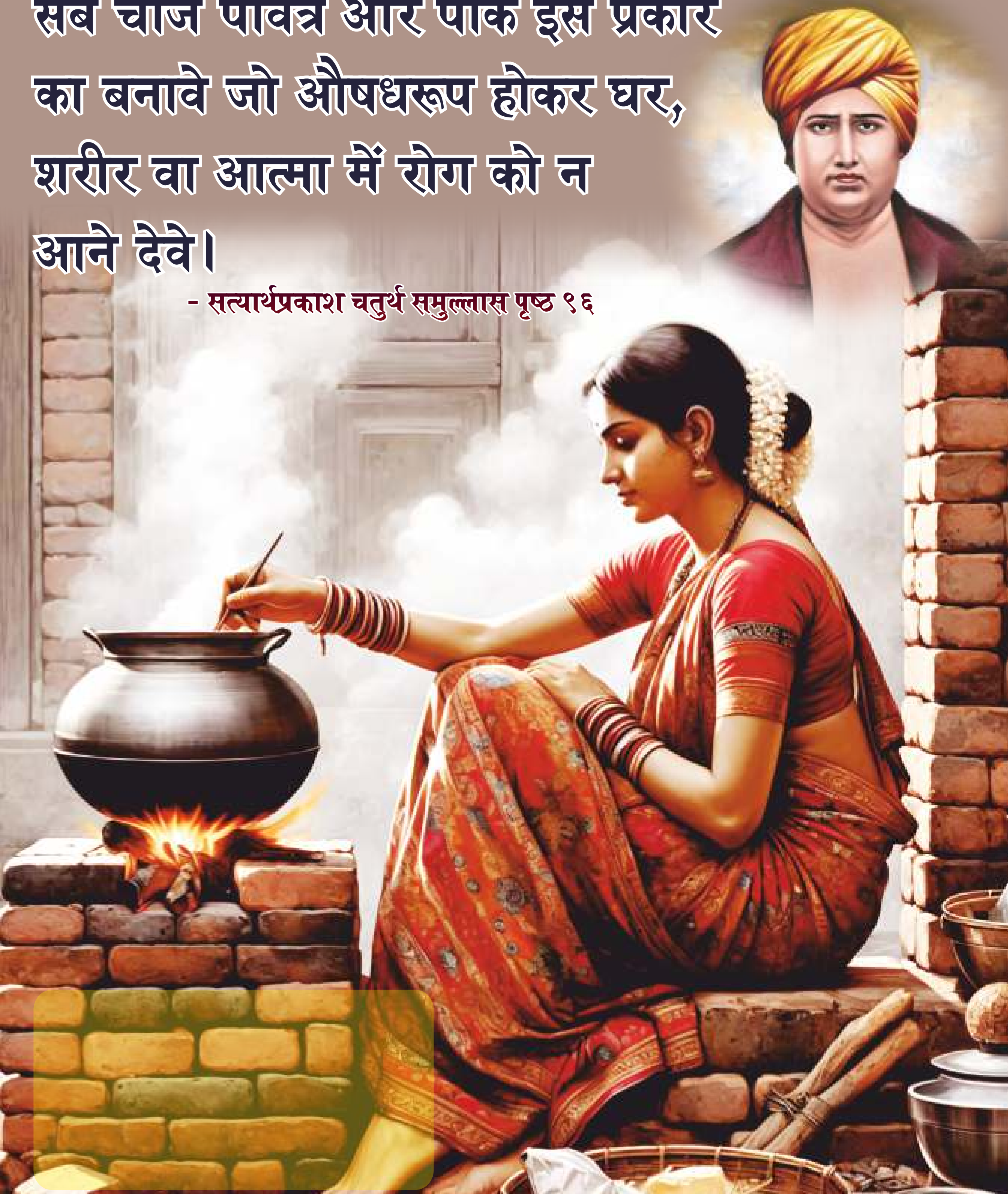

स्वत्वाधिकारी, श्रीमद्दयानन्द सत्यार्थप्रकाश न्यास, उदयपुर की ओर से प्रकाशक, मुद्रक अशोक कुमार आर्य द्वारा निदेशक- मुकेश चौधरी, चौधरी ऑफसेट प्रा. लि., 11/12 गुरुरामदास कॉलोनी, उदयपुर से मुद्रित प्रेषण कार्यालय- श्रीमद्दयानन्द सत्यार्थप्रकाश न्यास, नवलखा महल, गुलाबबाग, महर्षि दयानन्द मार्ग, उदयपुर-313001 से प्रकाशित, सम्पादक-अशोक कुमार आर्य

मुद्रण दिनांक- प्रत्येक माह की ३ तारीख | प्रेषण दिनांक- प्रत्येक माह की ७ तारीख | प्रेषण कार्यालय- मुख्य डाकघर, चेतक सर्कल, उदयपुर